



भारतीय रिजर्व बैंक
निर्गम विभाग
तिरुवनंतपुरम

ई-निविदा के लिए नोटिस (एनआईटी)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), तिरुवनंतपुरम के लिए सिक्कों के बैग और नोट बॉक्सों के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम (जिसे आगे से "बैंक" कहा जाएगा) के क्षेत्रीय निदेशक रेलवे स्टेशनों / हवाई अड्डों या आरबीआई तिरुवनंतपुरम द्वारा पहचाने गए किसी भी स्थान पर नोट बॉक्सों की लदाई / उत्तराई/ स्टैक करना सहित आरबीआई तिरुवनंतपुरम के परिसर में सिक्कों के थैलों/ नोट बॉक्सों के संचालन (लदाई / उत्तराई / वज़न करना / कार्टिंग / स्टैकिंग) और विविध प्रासंगिक कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और शारीरिक सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी और लाइसेंस धारक श्रम संविदाकारों से एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित करता है।

2. इस संविदा की अवधि शुरू में एक वर्ष के लिए होगी, जो 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक होगी, और संविदात्मक निबंधनों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर आरबीआई, तिरुवनंतपुरम द्वारा अपने विकल्प से निबंधन और शर्तों में परिवर्तन के साथ या बिना, दो वर्षों तक (एक वर्ष के लिए) बढ़ाई जा सकती है।

3. उपरोक्त ई-निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी एमएसटीसी वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi> पर उपलब्ध होगी। योग्यता मानदंडों और विस्तृत निविदा आमंत्रण नोटिस के विवरण बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर भी उपलब्ध हैं। निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi>) के माध्यम से की जाएगी। सभी रुचि रखने वाले बोलीदाताओं को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त संदर्भित वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है।

4. ई-निविदा प्रक्रिया का अनुसूची निम्नलिखित है:

ई-निविदा नं.	ई-निविदा नं.आरबीआई/क्षेत्रीय तिरुवनंतपुरम कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ET/934
निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन) भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – मूल्य बोली https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi

कार्य का अनुमानित मूल्य	कार्य की अनुमानित लागत लगभग ₹63,00,000/- (तिरसठ लाख रुपये मात्र) है, जिसमें 18% जीएसटी शामिल है, जो एक वर्ष के संविदा अवधि के लिए 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक है। हालांकि, वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।
निविदा आमंत्रण नोटिस (NIT) और निविदा दस्तावेजों की तारीख और समय, जो बैंक की वेबसाइट और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (एमएसटीसी) पर देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं	03 फरवरी, 2026 से 03:00 बजे
बोली पूर्व बैठक (ऑफलाइन) (तारीख, समय और स्थान)	18 फरवरी 2026 को 11:00 बजे स्थान: - निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन, बेकरी जंक्शन, नंदवनम, पालयम, तिरुवनंतपुरम - 695033।
सभी बोलीदाताओं के लिए ईमानदारी धन (EMD)	₹ 1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) अर्थात् अनुमानित लागत का 2%, जो भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में खाता नं. 8614038 और IFSC – RBISOTHPA01, आरबीआई, तिरुवनंतपुरम (केवल NEFT द्वारा) में 04 मार्च, 2026, 01:00 बजे तक जमा किया जाना है।
सफल बोलीदाता के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG)	₹3,15,000 (तीन लाख पंद्रह हजार रुपये मात्र) अर्थात् संविदा मूल्य का 5%, निविदा की दायित्वों को पूरा करने के लिए
EMD के जमा / प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय (NEFT के माध्यम से)	बोलीदाता का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि EMD राशि और लेनदेन का प्रमाण 04 मार्च, 2026, 01:00 बजे तक प्राप्त और निपटाया जाए। EMD के लिए कट ऑफ समय का सख्ती से पालन किया जाएगा। उक्त समय और तारीख के बाद शुरू किए गए या अनिपटे लेनदेन को अमान्य माना जाएगा और इस संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी भुगतान गेटवे / NEFT / RTGS के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में करना होगा।
ऑनलाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली	24 फरवरी 2026 अपराह्न 03:00 बजे

के लिए ई-निविदा शुरू करने की तारीख	
ऑनलाइन ई-निविदा के लिए तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने की अंतिम तारीख	04 मार्च, 2026 अपराह्न 02:00 बजे
भाग-। (तकनीकी बोली) खोलने की तारीख और समय	04 मार्च, 2026 अपराह्न 04:00 बजे
भाग-॥ (मूल्य बोली) खोलने की तारीख और समय	सभी योग्य बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा।

5. योग्यता:

निविदाकर्ता को एक प्रतिष्ठित, अनुभवी और लाइसेंस धारक श्रम ठेकेदार होना चाहिए जिसके पास:

- I. बोलीदाता के पास 31 मार्च 2025 तक कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो केंद्र/राज्य सरकार/PSUs/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों के लिए समान प्रकार की सेवाएं प्रदान करता हो। ऐसे केंद्र/राज्य/PSUs/राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सेवा की सूची और सेवा की अवधि प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- II. बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में समान सेवाएं सफलतापूर्वक पूरा करना/पूरा करना चाहिए, अर्थात् वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में:-
 - ए. तीन समान पूर्ण सेवाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर या उससे अधिक हो; या
 - बी. दो समान पूर्ण सेवाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर या उससे अधिक हो; या
 - सी. एक समान पूर्ण सेवा, जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर या उससे अधिक हो।

नोट: शब्द 'समान सेवाएं' का अर्थ ऐसी प्रत्येक सेवा के रूप में लिया जाएगा जैसे आरबीआई के अन्य मुद्रा कार्यालयों और अन्य बैंकों के मुद्रा भंडारों में नोट बॉक्स और सिक्कों के बैग को संभालने के लिए श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करना।

III. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, अंतिम वर्ष 31 मार्च 2025, के रूप में, अनुमानित लागत का कम से कम 30% का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर, जिसे लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

IV. नवीनतम लेखा परीक्षा किए गए तुलन पत्र के अनुसार सकारात्मक नेट वर्थ। निविदादाता अनुमोदित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रमाणित सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जमा करेंगे।

V. ठेकेदार के पास भारत सरकार के सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए, जैसा कि ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 की धारा 12(1) में प्रदान किया गया है।

VI. निविदाकर्ता के पास स्थायी खाता संख्या (PAN) और GSTN नंबर होना चाहिए, जो कर्तव्यों को पूरा करने के लिए लागू होते हैं।

VII. यदि संविदा के लिए सफल रूप से आबंटन किया जाता है, तो निविदाकर्ता के पास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए।

VIII. निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता रखेंगे। बैंक को बैंक का नाम और खाते का प्रकार बताया जाना चाहिए।

नोट: निविदादाता अपनी योग्यता/योग्यता के दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जमा करेंगे। कृपया ध्यान दें कि ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, सभी संभावित निविदादाताओं को एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निर्धारित सभी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है और लॉग-इन आईडी/पासवर्ड और सिस्टम/पोर्टल में बोली लगाने के लिए आवश्यक जान प्राप्त करना आवश्यक है। सिस्टम किसी भी व्यक्ति/फर्म को एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर लॉग-इन करने और निविदा दस्तावेज/अन्य शर्तों को देखने की अनुमति नहीं देगा, यदि उनके पास प्रमाणित लॉग-इन आईडी और पासवर्ड नहीं हैं। इसके अलावा, आवश्यक अनुमोदन / समर्थनकारी दस्तावेजों के बिना या उपरोक्त मानदंडों में से किसी एक को पूरा नहीं करने वाले किसी भी संस्था द्वारा जमा किया गया ई-निविदा / ई-बोली प्रणाली द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और कोई भी अनुरोध या दावा पुनर्विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमएसटीसी लिमिटेड का इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

नोट: सभी बोलीदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में यदि ई-निविदा में कोई संशोधन / सुधार जारी किया जाता है, तो वह केवल आरबीआई और एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

6. बैंक के पास बिना किसी कारण के किसी भी या सभी ई-निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

नोट: सभी निविदाकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में यदि ई-निविदा में कोई संशोधन / सुधार जारी किया जाता है, तो वह केवल आरबीआई और एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम

भारतीय रिजर्व बैंक
निर्गम विभाग
तिरुवनंतपुरम

ई-निविदा: आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के लिए सिक्कों के थैलों और नोट बॉक्सों के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति

ई-निविदा नं. आरबीआई/क्षेत्रीय तिरुवनंतपुरम/मुद्रा/1/25-26/ET/934

निर्गम विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुख्य कार्यालय भवन, बेकरी जंक्शन,
नंदवनम, पलायम,
तिरुवनंतपुरम - 695033

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई, तिरुवनंतपुरम), निर्गम विभाग, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पक्षकारों को संविदा संबंधी पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि आरबीआई, तिरुवनंतपुरम ने इस दस्तावेज़ में शामिल जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी भरती है और इसे सही मानते हैं, वहीं न तो आरबीआई, तिरुवनंतपुरम और न ही इसके प्राधिकरण या एजेंसी या न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई गारंटी देते हैं। इस दस्तावेज़ में निहित धारणाएं, आकलन, कथन और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं हो सकती है। इसलिए, प्रत्येक निविदाकर्ता को अपनी जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज़ में निहित मान्यताओं, आकलन, बयानों और सूचनाओं की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

आरबीआई, तिरुवनंतपुरम या इसके कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और किसी भी कानून, नियमों या विनियमों या अपकृत्य, क्षतिपूर्ति या अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों या अन्यथा किसी भ नुकसान, क्षति, लागत या व्यय के लिए किसी भी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दायित्व नहीं होगा, जो इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के कारण उत्पन्न हो सकता है या पीड़ित हो सकता है, बोली की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता और उसमें निहित किसी भी मूल्यांकन, धारणा या जानकारी को शामिल करना या इस दस्तावेज़ का हिस्सा माना जाता है।

जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षकारों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे ई-निविदा जमा करने में केवल आरबीआई, तिरुवनंतपुरम द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं करते हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह आरबीआई तिरुवनंतपुरम या इसके अधिकारियों या एजेंसियों या उनके किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

यह एक खुली निविदा है। वे बोलीदाता जो इस दस्तावेज में दिए गए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं और इसमें निर्देशित विवरण जमा करते हैं, भाग लेने के योग्य हैं।

आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के पास निविदा के साथ आगे नहीं बढ़ने का अधिकार है या निविदा की विन्यास में परिवर्तन करने का अधिकार है, इस दस्तावेज में प्रतिबिंबित समय सारणी में परिवर्तन करने का अधिकार है या लागू किए जाने वाले प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार है। यह अपने विवेक से किसी भी बोलीदाता से आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी रखता है। किसी भी प्रकार की लागत का भुगतान रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को नहीं किया जाएगा।

आरबीआई, तिरुवनंतपुरम अपने विवेक से, सफल बोलीदाता को कार्य के एक या अधिक, या सभी मद सौंप सकते हैं, जिनके लिए दरें मांगी जाती हैं।

आरबीआई तिरुवनंतपुरम के परिसर में सिक्कों के थैलों/नोट बॉक्सों की लदाई, उत्तराई, वजन, ढोना, फैलाना, स्टैक करने और विविध प्रासंगिक कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति के लिए संविदा एक दर संविदा के प्रकार का है। आरबीआई, तिरुवनंतपुरम किसी भी विशिष्ट मात्रा के कार्य का वादा या आश्वासन नहीं देता है।

आरबीआई, तिरुवनंतपुरम किसी भी परिस्थिति में सफल बोलीदाता के अंतिम चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों को किसी को भी बताने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

दरें विनिर्दिष्ट स्तंभों में अंकों और शब्दों दोनों में उद्धृत की जानी चाहिए। विसंगति की स्थिति में, शब्दों में उद्धृत दर को अंतिम माना जाएगा। निविदा खोलने के बाद किसी भी बदलाव की सलाह नहीं दी जाएगी।

उद्धृत दरें समाप्त कार्य के लिए मानी जाएंगी और किसी भी उछाल के बिना वढ़ और बाध्यकारी होंगी।

विषय सूची

मद विवरण	मद विवरण
भाग I	
खंड I	निविदा आमंत्रण नोटिस (NIT) और निविदा की अनुसूची (SoT)
खंड II	ई-निविदा के लिए निर्देश
खंड III	बोलीदाताओं के लिए निर्देश
खंड IV	संविदा के निबंधन और शर्तें
खंड V	प्रस्ताव पत्र और तकनीकी (तकनीकी वाणिज्यिक) बोली फॉर्म
खंड VI	तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची
खंड VII	करार की शर्तें
खंड VIII	भाग-I का मूल्यांकन
भाग II	
	निविदा फॉर्म – भाग-II (मूल्य बोली)

भारतीय रिजर्व बैंक
निर्गम विभाग
तिरुवनंतपुरम

खंड-।

(केवल ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से)

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

नोट: यह एक खुली निविदा है। वे बोलीदाता/विक्रेता जो इस दस्तावेज में दिए गए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं और इसमें निर्देशित विवरण जमा करते हैं, इस निविदा में भाग लेने के योग्य हैं। बोलीदाता इस निविदा में भाग लेने से पहले अपनी योग्यता की जांच कर सकते हैं।

A. कार्य का प्रकार	निविदा लोड, अनलोड, वजन, ढोना, फैलाना, स्टैक करने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति के लिए है नोट बॉक्स/सिक्कों के बैग और आरबीआई तिरुवनंतपुरम के परिसर में अन्य सहायक कार्यों के लिए, जिसमें खाली बॉक्सों को स्थानांतरित करना और रेलवे स्टेशनों / हवाई अड्डों या आरबीआई, तिरुवनंतपुरम द्वारा पहचाने गए किसी भी स्थान पर नोट बॉक्सों को लोड, अनलोड, स्टैक करना शामिल है।
B. ई-निविदा नं.	ई-निविदा नं. आरबीआई/क्षेत्रीय तिरुवनंतपुरम कार्यालय/मुद्रा/1/25-26/ET/934
C. निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन) भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – मूल्य बोली https://www.mstcecommerce.com/eprocn
D. कार्य की अनुमानित लागत	कार्य की अनुमानित लागत लगभग ₹63,00,000/- (साठ तीन लाख रुपये मात्र) है, जिसमें 18% जीएसटी शामिल है, जो एक वर्ष के संविदा अवधि के लिए 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक है। हालांकि, वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।

<p>E. निविदा आमंत्रण नोटिस (NIT) और निविदा दस्तावेजों की तारीख और समय, जो बैंक की वेबसाइट और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (mstc) पर देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं</p>	<p>03 फरवरी, 2026 से 03:00 बजे</p>
<p>F. प्री-बोली बैठक (ऑफलाइन) (तारीख, समय और स्थान)</p>	<p>18 फरवरी, 2026 को 11:00 बजे</p> <p>स्थान: – मुद्रा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन, बेकरी जंक्शन, नंदवनम, पलायम, तिरुवनंतपुरम - 695033।</p>
<p>G. ईमानदारी धन (EMD)</p>	<p>₹1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) अर्थात् अनुमानित लागत का 2%, जो भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में खाता नं. 8614038 और IFSC – RBIS0THPA01, आरबीआई, तिरुवनंतपुरम (केवल NEFT द्वारा) में 04 मार्च, 2026, 01:00 बजे तक जमा किया जाना है।</p> <p>EMD भेजने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेनदेन के प्रमाण के साथ लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) को आधिकारिक ईमेल आईडी: "मुद्रा, तिरुवनंतपुरम" issuethiro@rbi.org.in और "रेमिटेंस तिरुवनंतपुरम" remittancethiro@rbi.org.in को भेजें।</p>
<p>H. NEFT के माध्यम से EMD जमा करने की अंतिम तारीख</p>	<p>04 मार्च, 2026, 01:00 बजे।</p> <p>बोलीदाता का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि EMD राशि और लेनदेन का प्रमाण 04 मार्च, 2026, 01:00 बजे तक प्राप्त और निपटाया जाए। EMD के लिए कट ऑफ समय का सख्ती से पालन किया जाएगा। उक्त समय और तारीख के बाद शुरू किए गए या अनिपटे लेनदेन को अमान्य माना जाएगा और इस संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p>

I. लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी भुगतान गेटवे / NEFT / RTGS के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में करना होगा।
K. ऑनलाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली के लिए ई-निविदा शुरू करने की तारीख	24 फरवरी 2026 03:00 बजे
L. ऑनलाइन ई-निविदा के लिए तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने की अंतिम तारीख	04 मार्च 2026 02:00 बजे
M. भाग-I (अर्थात् तकनीकी बोली) खोलने की तारीख और समय	04 मार्च 2026 04:00 बजे
N. भाग-II (मूल्य बोली) खोलने की तारीख और समय	तारीख और समय सभी योग्य निविदादाताओं को बोलीदाताओं द्वारा प्रदान किए गए ईमेल आईडी/संपर्क नंबरों के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।

ई-निविदा नोटिस के साथ विस्तृत निविदा दस्तावेज एमएसटीसी वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eproch> और बैंक की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध है। सभी रुचि रखने वाले बोलीदाताओं को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त संदर्भित वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है।

केवल वे जो योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, इस निविदा में भाग लेने के योग्य हैं। संविदा 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक एक वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे बैंक द्वारा अपनी अपनी राय से दो वर्षों तक (एक वर्ष के लिए) बढ़ाया जा सकता है, शर्तों और शर्तों में परिवर्तन के साथ या बिना, संविदा की शर्तों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन। उसके बाद नए निविदा के लिए नई बोली की जा सकती है।

यदि ऊपर दी गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो अगला कार्य दिवस इस दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्य के लिए कार्य करेगा। निविदा दस्तावेज <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> और www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है, इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/सुधार/स्पष्टीकरण बैंक की वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदाता को ऊपर दी गई वेबसाइट/ई-पोर्टल पर इस निविदा के संबंध में किसी भी संशोधन/सुधार/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से जांच करनी चाहिए।

उपरोक्त निर्दिष्ट सेवाएं सफल बोलीदाता/से भारतीय रिज़र्व बैंक, मुद्रा विभाग, तिरुवनंतपुरम को प्रदान की जाएंगी।

खंड - II

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट कार्य है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस और उसके बाद के संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यान से पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- 1) www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/ वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं।
- 2) विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान की गई ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले mstc/आरबीआई से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी) विक्रेताओं के लिए:

HO Central Help Desk: (विक्रेताओं के लिए)

helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय "HO Helpdesk" विषय के रूप में उल्लेख करें)

उपलब्धता

सभी कार्य दिवसों के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक सभी तकनीकी मुद्दों, ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

नाम	ई-मेल आईडी	मोबाइल नंबर
श्री तन्मय सरकार	helpdesk@mstcindia.co.in	8349894664
श्री सुशील नाले	sushil@mstcindia.co.in	09987758430
मिस आर्चना	archana@mstcindia.co.in	09990673698
हेल्प डेस्क/ कार्यालय	helpdesk@mstcindia.co.in	0674-2544199/ 2950091

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, तिरुवनंतपुरम):

नाम	ई-मेल आईडी	मोबाइल नंबर
श्रीमती सविता बालन	sbalan@rbi.org.in	0471-2783269
श्री सारन मेनन आर	saranmenon@rbi.org.in	0471-2783103
श्री श्रीनिवास पी वी	srinivaspv@rbi.org.in	0471-2783266

B) प्रणाली आवश्यकता:

यदि एमएसटीसी पोर्टल इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोला गया है

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम।
- ii) IE-9 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र। नवीनतम जावा संस्करण (JRE- विंडोज X86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना चाहिए।

सिस्टम सेटिंग्स

- a) पॉप-अप ब्लॉकर को बंद करना है – सिस्टम पथ है: टूल्स → पॉप-अप ब्लॉकर → पॉप-अप ब्लॉकर बंद करें
- b) जावा प्लग-इन को सक्षम करना है- सिस्टम पथ है: टूल्स → मैनेज

B) प्रणाली आवश्यकता:

यदि एमएसटीसी पोर्टल इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोला गया है

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम।
- ii) IE-9 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र। नवीनतम जावा संस्करण (JRE- विंडोज X86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना चाहिए।

प्रणाली सेटिंग्स

- a) पॉप-अप ब्लॉकर को बंद करना है – सिस्टम पथ है: टूल्स → पॉप-अप ब्लॉकर → पॉप-अप ब्लॉकर बंद करें
- b) जावा प्लगइन को सक्षम करना है- सिस्टम पथ है: टूल्स → मैनेज एड-ऑन्स → "टूलबार और एक्सटेंशन" के अंतर्गत जांचें कि जावा प्लग-इन सक्षम हैं या नहीं। यदि सक्षम नहीं हैं, तो "ओरेकल अमेरिका, इंक." के अंतर्गत प्रत्येक विकल्प पर क्लिक करें और नीचे आपको उन्हें सक्षम करने का विकल्प मिलेगा।

c) संगतता दृश्य सेटिंग्स में "www.mstcecommerce.com" जोड़ें। संगतता दृश्य सेटिंग्स "टूल्स" के अंतर्गत देखी जा सकती हैं।

d) पथ: टूल्स → इंटरनेट विकल्प → "जनरल" टैब में, "सेटिंग्स" पर क्लिक करें और "प्रत्येक बार मैं वेबपेज पर जाता हूं" विकल्प चुनें।

e) पथ: टूल्स → इंटरनेट विकल्प → "जनरल" टैब में, "डिलीट" विकल्प पर क्लिक करें और "डिलीट ब्राउज़िंग हिस्ट्री" नामक विंडो खुलेगी। इस विंडो में, निम्नलिखित चेक बॉक्स मार्क करें।

- पसंदीदा वेबसाइट डेटा बनाए रखें।
- अस्थायी इंटरनेट फाइलें और वेबसाइट फाइलें।
- कुकीज और वेबसाइट डेटा।
- इतिहास।
- डाउनलोड इतिहास
- और डिलीट पर क्लिक करें।

f) पथ: टूल्स → इंटरनेट विकल्प → "सुरक्षा" टैब में, इंटरनेट चुनें-> सुरक्षित मोड सक्षम करें अनचेक करें-> कस्टम लेवल पर क्लिक करें -> 1) सभी एक्टिवएक्स नियंत्रण और प्लग-इन 2) डोमेन के बीच डेटा स्रोत तक पहुंच 3) स्क्रिप्ट के माध्यम से अपडेट के लिए स्टेटस बार अनुमति दें 4) जावा एप्लेट्स की स्क्रिप्टिंग सक्षम करें। 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' के लिए अक्षम चुनें और 'ओके' पर क्लिक करें।

g) पथ: टूल्स → इंटरनेट विकल्प → "सुरक्षा" टैब में, विश्वसनीय साइट चुनें, फिर 'साइट्स' पर क्लिक करें। यहां, "<https://www.mstcecommerce.com>" को 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करके जोड़ें। कृपया सुनिश्चित करें कि 'इस क्षेत्र में सभी साइटों के लिए सर्वर सत्यापन (https:) आवश्यक है' चेक बॉक्स अनचेक है। इसके बाद, बॉक्स को बंद करें। आगे, 'सुरक्षित मोड सक्षम करें' को अनचेक करना होगा।

h) पथ: टूल्स → इंटरनेट विकल्प → "सुरक्षा" टैब में, विश्वसनीय साइट चुनें → कस्टम लेवल पर क्लिक करें → 1) सभी एक्टिवएक्स नियंत्रण और प्लग-इन 2) स्क्रिप्ट के माध्यम से अपडेट के लिए स्टेटस बार अनुमति दें 3) जावा एप्लेट्स की स्क्रिप्टिंग सक्षम करें। 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' के लिए अक्षम चुनें।

उपरोक्त सेटिंग्स करने के बाद, कृपया 'लागू करें' पर क्लिक करें, फिर 'ठीक' पर क्लिक करें और ब्राउज़र बंद करें।

जावा डाउनलोड और सेटिंग्स

a) "<https://www.mstcecommerce.com/eproc/>" and में 'जावा डाउनलोड' लिंक पर क्लिक करें और नवीनतम JRE का 'विंडोज X86 ऑफलाइन' फाइल डाउनलोड करें।

b) अपने सिस्टम के 'कंट्रोल पैनल' को खोलें और सुनिश्चित करें कि डिस्प्ले 'बड़े आइकन' द्वारा दिखाया जा रहा है।

c) 'जावा (32 बिट)' पर क्लिक करें। 'सुरक्षा' टैब पर क्लिक करें। कृपया सुनिश्चित करें कि ब्राउज़र के लिए जावा सामग्री सक्षम है, चेक बॉक्स को चेक करके। अनुप्रयोग के लिए सुरक्षा स्तर 'उच्च' रखा जाना चाहिए। 'जोड़ें' पर क्लिक करके <https://www.mstcecommerce.com> वेबसाइट जोड़ें और लोकेशन बॉक्स में URL दर्ज करें। एक बार वेबसाइट जोड़ने के बाद, बॉक्स बंद करें। अगले, 'एडवांस्ड' टैब पर जाएं और जावा कंसोल को 'कंसोल दिखाएं' चुनें। एडवांस्ड सुरक्षा सेटिंग्स के अंतर्गत, सभी TLS के लिए चेक बॉक्स सक्षम करें और SSL 2.0 को अनचेक करें।

यदि एमएसटीसी पोर्टल एज में खोला गया है

नीचे दी गई सेटिंग्स विंडोज 10 और 11 का उपयोग करने वाले कंप्यूटरों के लिए विशिष्ट हैं, जिनका डिफॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज है।

आवश्यक सेटिंग्स:

1. विंडोज संस्करण जांच
2. जावा जांच। डाउनलोड और सेटिंग्स।
3. विश्वसनीय साइट जोड़ना
4. एज में सेटिंग्स।

एक बार उपरोक्त 4 सेटिंग्स करने के बाद, आप बिना किसी समस्या के एमएसटीसी ई-पोर्टल तक पहुंच सकेंगे।

प्रत्येक सेटिंग का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **विंडोज संस्करण जांच:** कंप्यूटर में विंडोज 10 या 11 का नवीनतम संस्करण होना चाहिए। यह विंडोज बार में सेटिंग्स मेनू में जाकर जांचा जा सकता है। सेटिंग्स में, कृपया अपडेट और सुरक्षा टैब पर जाएं → विंडोज अपडेट मेनू में कृपया सुनिश्चित करें कि कोई अपडेट लंबित नहीं है और विंडोज का नवीनतम संस्करण इंस्टॉल किया गया है। किसी भी लंबित अपडेट के मामले में, कृपया उन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
2. **जावा जांच:** सिस्टम पर जावा 32 बिट संस्करण इंस्टॉल होना चाहिए।
 - a. यह जांचने के लिए कि कंप्यूटर में पहले से जावा इंस्टॉल है या नहीं, कृपया विंडोज मेनू में जाएं और जावा के लिए खोजें, यदि जावा इंस्टॉल है तो जावा कॉन्फ़िगर करने का विकल्प दिखाई देगा।
 - b. यदि यह दिखाई नहीं देता है, तो किसी भी खोज इंजन में खोजें और जावा 32 बिट डाउनलोड के लिए खोजें। फिर www.java.com से लिंक खोलें। खुलने वाले पृष्ठ पर, विंडोज ऑफलाइन संस्करण ढूँढें और उसे डाउनलोड करें। कृपया 64-बिट सिस्टम (भले ही आपका सिस्टम 64 बिट हो, क्योंकि अनुप्रयोग की आवश्यकता 32 बिट जावा है) डाउनलोड न करें। यदि सिस्टम में 32-बिट जावा और 64 बिट दोनों इंस्टॉल हैं, तो वह भी काम करेगा।
 - c. एक बार डाउनलोड होने के बाद, कृपया इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल होने के बाद, विंडोज मेनू में जाएं और जावा के लिए खोजें। जावा कॉन्फ़िगर करने के लिए क्लिक करें।
 - d. कॉन्फ़िगर जावा मेनू में (नीचे दिखाया गया है), सुरक्षा टैब पर क्लिक करें। सुरक्षा टैब में:
 - i. सुनिश्चित करें कि ब्राउज़र के लिए जावा सामग्री सक्षम है।
 - ii. सुनिश्चित करें कि सुरक्षा स्तर उच्च पर सेट है
 - iii. अपवाद साइट सूची में एमएसटीसी वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> जोड़ी गई है।

- v. निष्पादन वातावरण सुरक्षा सेटिंग्स: सभी बॉक्स टिक करें
- vi. मिश्रित कोड (सैंडबॉक्स बनाम विश्वसनीय) सुरक्षा सत्यापन: सत्यापन अक्षम करें
- vii. हस्ताक्षरित कोड प्रमाणपत्र रद्दीकरण जांच करें: जांच न करें
- viii. TLS प्रमाणपत्र रद्दीकरण जांच करें: जांच न करें
- ix. एडवांस्ड सुरक्षा सेटिंग्स: सभी अनुमति दें, सिवाय "ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रतिबंधित वातावरण को सक्षम करने" के।
- f. लागू बटन पर क्लिक करें और फिर 'ठीक' पर क्लिक करके जावा विंडो बंद करें।

3. विश्वसनीय साइट जोड़ना:

- a. कृपया विंडोज मेनू में जाएं और कंट्रोल पैनल के लिए खोजें। क्लिक कंट्रोल पैनल को खोलने के लिए।
- b. कंट्रोल पैनल में, दाईं ओर के खोज पैन में इंटरनेट विकल्पों के लिए खोजें।
- c. इंटरनेट विकल्प खोलें और जनरल टैब पर क्लिक करें
- d. ब्राउज़िंग हिस्ट्री के अनुभाग में सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें और "प्रत्येक बार मैं वेबपेज पर जाता हूं" चुनें। ठीक पर क्लिक करें
- e. फिर सुरक्षा टैब खोलें और विश्वसनीय साइट पर क्लिक करें। यह साइट बटन को सक्षम करेगा:
- f. साइट बटन पर क्लिक करें और <https://www.mstcecommerce.com> को विश्वसनीय साइट सूची में जोड़ें। जोड़ने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक करें
- g. जबकि विश्वसनीय साइट क्षेत्र चयनित है, कस्टम लेवल पर क्लिक करें, ताकि विश्वसनीय साइट के लिए सुरक्षा सेटिंग्स अपडेट की जा सकें
- h. सुरक्षा सेटिंग्स विंडो में एक्टिवएक्स नियंत्रण और प्लग-इन तक स्कॉल करें। यहां निम्नलिखित विकल्प चुनें
- i. एक्टिवएक्स फिल्टरिंग अनुमति दें: अक्षम
- ii. पहले उपयोग नहीं किए गए एक्टिवएक्स नियंत्रण को प्रॉमृ के बिना चलाने की अनुमति दें: सक्षम

- iii स्क्रिप्लेट्स अनुमति दें: सक्षम
 - iv एक्टिवएक्स नियंत्रण के लिए प्रॉम्प्ट अनुमति दें: सक्षम
 - v बाइनरी और स्क्रिएट व्यवहार: सक्षम
 - vi वेबपेज पर वीडियो और एनिमेशन प्रदर्शित करें: सक्षम
 - vii हस्ताक्षरित एक्टिवएक्स नियंत्रण डाउनलोड करें: सक्षम
 - viii हस्ताक्षर रहित एक्टिवएक्स नियंत्रण डाउनलोड करें: सक्षम
 - ix सुरक्षित रूप से स्क्रिएट के लिए चिह्नित नहीं किए गए एक्टिवएक्स नियंत्रण को आरंभ करें और स्क्रिएट करें: सक्षम
 - x केवल अनुमोदित डोमेन को प्रॉम्प्ट के बिना एक्टिवएक्स का उपयोग करने की अनुमति दें: सक्षम
 - xi एक्टिवएक्स नियंत्रण और प्लग-इन चलाएं: सक्षम
 - xii एंटीमैलवेयर सॉफ्टवेयर चलाएं एक्टिवएक्स नियंत्रण पर: अक्षम
 - xiii स्क्रिएट एक्टिवएक्स नियंत्रण जो स्क्रिएट के लिए सुरक्षित चिह्नित किए गए हैं: सक्षम
- i. उसी स्क्रीन में, मिश्रित तक स्कॉल करें और विशेष रूप से निम्नलिखित सेटिंग्स बदलें (इस पृष्ठ पर किसी अन्य सेटिंग को न बदलें):
- i. डोमेन के बीच डेटा स्रोत तक पहुंच: सक्षम
 - i. दिखाएं मिश्रित सामग्री: सक्षम
 - ii सर्वर पर फाइलें अपलोड करते समय स्थानीय डायरेक्टरी पथ शामिल करें: सक्षम
 - iii अनुप्रयोग और असुरक्षित फाइलों को लॉन्च करना: सक्षम
 - iv IFRAME में प्रोग्राम और फाइलें लॉन्च करना: सक्षम
 - v विभिन्न डोमेन के बीच विंडो और फ्रेम नेविगेट करना: सक्षम

vi पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें: अक्षम

vii विंडोज डिफेंडर स्मार्टस्क्रीन का उपयोग करें: अक्षम

विंडो बंद करने के लिए ठीक पर दबाएं।

j. इन सेटिंग्स को लागू करने के लिए लागू पर दबाएं और विंडो बंद करने के लिए ठीक पर दबाएं।

4. एज में सेटिंग्स:

a. एज ब्राउज़र खोलें

b. दाईं ओर टूल्स पर क्लिक करें और 'सेटिंग्स' बटन चुनें

c. सेटिंग्स मेनू में डिफॉल्ट ब्राउज़र पर क्लिक करें

d. खुलने वाले पृष्ठ में, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज में साइट खोलने के लिए चुनें जैसे हमेशा

e. अगले अनुभाग में, अर्थात् इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में साइटों को रीलोड करने की अनुमति दें जैसे अनुमति दें

f. एक नया टैब खोलें और एमएसटीसी ई-बिडिंग साइट खोलें। साइट खुलने के बाद, दाईं ओर सेटिंग्स मेनू पर क्लिक करें और बटन पर क्लिक करें इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में रीलोड करें

माध्यम

g. पृष्ठ रीलोड होगा और अगली बार इस पृष्ठ को इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में खोलने के लिए पॉप-अप खुलेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि अगली बार से पृष्ठ स्वचालित रूप से इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में लोड होगा। यह पॉप-अप यूआरएल के बाईं ओर "e" बटन पर क्लिक करके भी खोला जा सकता है।

आप ध्यान दें कि यदि एज में एक नया पृष्ठ खोला जाता है, तो इसे फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में रीलोड करना आवश्यक होगा और ऊपर दिखाए गए पॉप-अप में जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह बाद में स्वचालित रूप से इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में लोड हो।

II. लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट:

विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "इवेंट कैटलॉग" में "लेन-देन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेन-देन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

नोट: बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

III. ई-निविदा में बोली लगाना:

a) बोलीदाता(ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क अलग-अलग जमा करना/जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क अप्रत्यावर्तनीय है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता(ओं) का ईएमडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम द्वारा कार्य के पुरस्कार के तुरंत बाद वापस किया जाएगा।

b) प्रक्रिया में 'टेक्नो-कॉमर्शियल बोली' और 'प्राइस बोली' के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

c) एक राशि का ईएमडी ₹1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) 1 वर्ष की अनुमानित लागत के 2% के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में जमा किया जाना चाहिए खाता नंबर 8614038 & IFSC-

RBIS0THPA01। (कृपया NEFT लेनदेन टिप्पणियों में अपनी कंपनी का नाम उल्लेख करें।) ऑनलाइन भुगतान/NEFT के रूप में 01.00 PM से पहले मार्च 04, 2026 तक।

NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान के लिए खाता विवरण निम्नलिखित हैं।

लाभार्थी का नाम: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम

IFSC: RBIS0THPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)

खाता नं.: 8614038

टिप्पणियां: निर्गम तिरुवनंतपुरम – श्रम संविदा की आपूर्ति के लिए ईएमडी।

लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ भुगतान के प्रमाण को एमएसटीसी वेबसाइट पर संलग्न/अपलोड किया जाना चाहिए।

निविदादाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ भुगतान के प्रमाण को issuethiro@rbi.org.in और remittancethiro@rbi.org.in पर भेजें।

d) उपरोक्त शुल्क जमा करने वाले बोलीदाता(ओं) ही एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बोली फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क->सामान्य शर्तें->दस्तावेज़ संलग्न करें->मूल्य बोली. के माध्यम से अपनी तकनीकी (टेक्नो कॉमर्शियल) बोली और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।

e) विक्रेता के पास चल रहा जावा अनुप्रयोग होना चाहिए। यह अभ्यास बोली फ्लोर खोलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें / वाणिज्यिक विनिर्देश भरने और उन्हें सहेजने की आवश्यकता है। उसके बाद, वे 'टेक्नो-कॉमर्शियल बोली' पर क्लिक करें। यदि यह जावा अनुप्रयोग नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी 'टेक्नो-कॉमर्शियल बोली' को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा। 'टेक्नो कॉमर्शियल बोली' भरने के बाद, विक्रेताओं को समान को रिकॉर्ड करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार 'मूल्य बोली' लिंक सक्रिय हो जाने और विवरण भर जाने के बाद, विक्रेताओं को 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए ताकि 'मूल्य बोली' को रिकॉर्ड किया जा सके। जब 'टेक्नो-कॉमर्शियल बोली' और 'मूल्य बोली' दोनों सहेज ली जाएं, तो विक्रेता को 'अंतिम सबमिशन' बटन पर क्लिक करना चाहिए ताकि बोली रजिस्टर की जा सके। सभी मामलों में, विक्रेताओं को अपनी बोली जमा करते समय अपना आईडी और पासवर्ड और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना चाहिए।

- f) पूरे ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अज्ञात रहेंगे और अन्य सभी के लिए भी।
- g) ई-निविदा फ्लोर घोषित तिथि और समय से खुला रहेगा और निविदा के अनुसूची में उल्लिखित अवधि के लिए।
- h) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोली विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली माना जाएगा और 'खरीदार' द्वारा उसकी स्वीकृति 'खरीदार' और 'विक्रेता' के बीच कार्य के निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी। ऐसे सफल विक्रेता को आगे 'संविदाकर्ता' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- i) यह अनिवार्य है कि सभी बोली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ जमा की जाएं, अन्यथा सिस्टम द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- j) बैंक को सबसे कम बोली स्वीकार करने का बाध्यकारी नहीं है और वह अपने विवेक से किसी भी बोली को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने, या रद्द करने, या अस्वीकार करने, या वापस लेने, या बढ़ाने का अधिकार रखता है, बिना किसी कारण के। दर भारतीय रूपये में ई-निविदा फ्लोर/निविदा दस्तावेज में उल्लिखित इकाई माप (UOM) के अनुसार उद्धृत की जानी चाहिए।
- k) निविदा दस्तावेज की शर्तों और नियमों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। ई-निविदा फ्लोर में किसी भी विक्रेता द्वारा बोली जमा करना उसकी निविदा के लिए शर्तों और नियमों को स्वीकार करने की पुष्टि है। इस निविदा से उत्पन्न किसी भी आदेश को उल्लिखित शर्तों और नियमों के अनुसार शासित किया जाएगा।
- l) ऑनलाइन निविदा को वेबसाइट पर निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से जमा किया जाना चाहिए - <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> एमएसटीसी लिमिटेड का। इस खुले ई-निविदा से उत्पन्न किसी भी आदेश को उल्लिखित शर्तों और नियमों के अनुसार शासित किया जाएगा।
- m) तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों और नियमों में कोई विचलन अनुमत नहीं है।
- n) विक्रेताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे वेंडर गाइड पढ़ें और वीडियो देखें ताकि बोली लगाने से पहले वे वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome पर सिस्टम से परिचित हो सकें।
- o) निविदादाताओं को NIT की शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने चाहिए। NIT की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है ऐसे किसी अन्य दस्तावेज को अपलोड करने से उसे विचार नहीं किया जाएगा।

- p) बोली का मूल्यांकन भरे गए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
- q) निविदादाता(ओं) द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान निविदादाता द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को गलत पाया जाता है, तो दोषी निविदादाता(ओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। दोषी निविदादाताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, जैसे निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग और व्यवसाय पर प्रतिबंध भी लगाई जा सकती है।
- r) उक्त निविदा के लिए सभी ई-निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए, नहीं।
- s) चूंकि यह एक ई-निविदा प्रक्रिया है, इसलिए पोस्ट के माध्यम से भेजे गए या किसी भी उद्धरण बॉक्स में जमा किए गए निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसी तरह, फैक्स या ईमेल के माध्यम से जमा किए गए निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा के बाद ऑनलाइन प्राप्त किए गए निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खंड - III

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश

A. सामान्य	
1. निविदा का कार्य क्षेत्र	आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के परिसर में सिक्कों के थैलों और नोट बॉक्सों की लदाई, उत्तराई, वजन ढोने, फैलाने, स्टैक करने और विविध प्रासंगिक कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति, साथ ही रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट या आरबीआई, तिरुवनंतपुरम द्वारा पहचाने गए किसी अन्य स्थान पर खाली नोट बॉक्सों की लदाई, उत्तराई और स्टैक करने के लिए मजदूरों की आपूर्ति साथ ही, अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए मजदूरों की आपूर्ति।
2. प्रतिबंधित अभ्यास	2.1 बैंक आवश्यकता रखता है कि निविदा दाता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने में रुचि रखते हैं, संविदा/नियुक्ति की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुपालन में, बैंक:

(a) इस प्रावधान के उद्देश्य के लिए नीचे दिए गए शब्दों को प्रतिबंधित अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है:

i. “भ्रष्ट अभ्यास” का अर्थ है किसी अन्य पक्ष की कार्रवाइयों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज की पेशकश, देना, प्राप्त करना या मांगना.

ii. “धोखाधड़ी का अभ्यास” का अर्थ है किसी भी कार्य या अनुपस्थिति, जिसमें गलत जानकारी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है, वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए.

iii. “बलपूर्वक अभ्यास” का अर्थ है किसी पक्ष या पक्ष की संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाना या क्षति पहुंचाने की धमकी देना, जिससे किसी पक्ष की कार्रवाइयों को अनुचित रूप से प्रभावित किया जा सके; और

iv. “मिलीभगत का अभ्यास” का अर्थ है दो या अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो किसी अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष की कार्रवाइयों को अनुचित रूप से प्रभावित करना भी शामिल है;

(b) यदि यह निर्धारित करता है कि संविदा के लिए अनुशासित निविदा दाता ने निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय प्रतिबंधित अभ्यास किया है, तो बैंक संविदा के लिए प्रस्ताव अस्वीकार कर देगा;

(c) यदि किसी भी समय बैंक निर्धारित करता है कि निविदा दाता ने निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय या संविदा को निष्पादित करते समय प्रतिबंधित अभ्यास किया है, तो बैंक निविदा दाता को अयोग्य घोषित कर सकता है, चाहे अनिश्चित काल के लिए या निर्धारित अवधि के लिए;

जोखिम और लागत	<p>यदि ठेकेदार द्वारा कोई उल्लंघन होता है या संविदा का पूर्व-समाप्ति होता है, तो ठेकेदार जोखिम और लागत के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, संविदा के तहत बैंक के पास अन्य किसी भी उपाय के अलावा।</p>
3. निविदा दस्तावेज का संशोधन	<p>4.1 किसी भी समय निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले, बैंक आरबीआई वेबसाइट (www.rbi.org.in) /एमएसटीसी की वेबसाइट/ई-पोर्टल पर संशोधन/सुधार जारी करके इस दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। जारी किए गए किसी भी संशोधन/सुधार को इस दस्तावेज का हिस्सा माना जाएगा।</p> <p>4.2 भविष्य के निविदा दाताओं को अपने निविदा तैयार करते समय किसी भी/सभी संशोधन/सुधारों को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपनी विवेकाधीनता से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा सकता है।</p>
B. निविदा की तैयारी	
4. निविदा की लागत	<p>5.1 निविदा दाता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंचने के लिए लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। निविदा दाता अपने निविदा की तैयारी और जमा करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे निविदा प्रक्रिया का आचरण या परिणाम कुछ भी हो। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।</p>
5. निविदा के घटक दस्तावेज	<p>6.1 निविदा निम्नलिखित से बना होगा:</p> <p>अनुभाग I: निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) और निविदा की अनुसूची (SOT)</p> <p>अनुभाग II: ई-निविदा के लिए निर्देश</p> <p>अनुभाग III: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (ITB)</p> <p>अनुभाग IV: करार की निबंधन और शर्तें</p>

	<p>अनुभाग V: निविदा फॉर्म – भाग-। (तकनीकी बोली)</p> <p>अनुभाग VI: तकनीकी बोली अनुभाग के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची</p> <p>अनुभाग VII: निविदा फॉर्म – भाग-॥ (मूल्य बोली)</p> <p>अनुभाग VIII: करार की शर्तें</p>
<p>6. निविदा पत्र</p>	<p>7.1 निविदा दाता को एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर क्लास ॥। के माध्यम से ई-निविदा प्रक्रिया का उपयोग करके बिना किसी परिवर्तन के निविदा जमा करना होगा। सभी खाली स्थानों को अनुरोधित जानकारी के साथ भरा जाना चाहिए।</p>
<p>7. निविदा की वैधता अवधि</p>	<p>9.1 निविदा वैधता अवधि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों तक होगी।</p> <p>9.2 अपवादात्मक परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि समाप्त होने से पहले, बैंक निविदा दाताओं से अपने निविदा की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में की जाएंगी।</p>
<p>8. निविदा सुरक्षा के रूप में ईएमडी</p>	<p>10.1 निविदा दाताओं को ऑनलाइन ई-निविदा में बोली लगाने के लिए आवश्यक बयान जमा राशि (ईएमडी) और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) का ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस किया जाएगा। आवश्यक ईएमडी के बिना प्राप्त ई-निविदा बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी।</p> <p>10.2 ईएमडी रु 1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) 1 वर्ष की अनुमानित लागत के 2% के रूप में NEFT के माध्यम से आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में 04 मार्च, 2026, 01:00 बजे से पहले जमा किया जाना चाहिए। कृपया NEFT लेनदेन टिप्पणियों में अपनी कंपनी का नाम उल्लेख करें। EMD राशि को</p>

	<p>NEFT के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए खाता और अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:</p> <p>राशि: ₹1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) लाभार्थी का नाम: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम</p> <p>IFSC: IFSC RBIS0THPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)</p> <p>खाता नं.: 8614038</p> <p>ईएमडी के भुगतान के प्रमाण के साथ लेनदेन नंबर (स्कैन की गई प्रति) को एमएसटीसी वेबसाइट पर संलग्न/अपलोड किया जाना चाहिए। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इसे ईमेल आईडी: issuethiro@rbi.org.in, remittancethiro@rbi.org.in पर भेजें।</p> <p>यदि निविदा दाता, बोली जमा करने के बाद, अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है या शर्तों और नियमों में परिवर्तन करता है जो आरबीआई तिरुवनंतपुरम के लिए स्वीकार्य नहीं हैं, तो EMD बिना किसी कारण के जब्त कर लिया जाएगा।</p>
--	--

C. निविदा का प्रस्तुति और खोलना

<p>9. निविदा का प्रस्तुति, सीलिंग और अंकन</p>	<p>11.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा जमा करने वाले निविदा दाताओं को ई-निविदा संबंधी निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ई-निविदा प्रस्तुति प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।</p> <p>11.2 निविदा दाता निर्धारित प्रारूप (अनुभाग V) में अपनी तकनीकी बोली जमा कर सकते हैं, साथ ही अनुभाग VI में दी गई दस्तावेजों की सूची के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां और मूल्य बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) निर्धारित प्रारूप (अनुभाग VII) में जमा कर सकते हैं। ई-निविदा में सभी जानकारी निर्धारित समय तक जमा की जानी चाहिए।</p>
--	---

	11.3 यदि वांछित/निर्धारित जानकारी जमा नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा के अस्वीकार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
10. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	<p>12.1 निविदा को इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाना चाहिए, इस दस्तावेज में निर्दिष्ट तिथि और समय से बाद नहीं।</p> <p>12.2 बैंक अपनी विवेकाधीनता से निविदा दस्तावेज को संशोधित करके निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा सकता है।</p> <p>12.3 ऑफलाइन मोड में निविदा जमा करना अनुमत नहीं है।</p>
11. देर से जमा किए गए निविदा	13.1 ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद कोई भी निविदा जमा करने की अनुमति नहीं होगी।
12. निविदा खोलना	14.1 बैंक अधिसूचित तिथि पर निविदा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोलेगा।
D. निविदा की जांच	
13. गोपनीयता	15.1 निविदा के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदा दाताओं या उस प्रक्रिया से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं होने वाले किसी अन्य व्यक्ति को तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक सभी निविदा दाताओं को संविदा प्रदान के बारे में सूचना न दी जाए।
14. निविदा की स्पष्टीकरण	16.1 निविदा की जांच, मूल्यांकन, तुलना और निविदा दाताओं की योग्यता की सहायता के लिए, बैंक अपनी विवेकाधीनता से किसी भी निविदा दाता से उसके निविदा की स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है, उत्तर देने के लिए उचित समय देते हुए। बैंक के अनुरोध के बिना किसी निविदा दाता द्वारा जमा किए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक का अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी। निविदा के मूल्य या विषय के किसी भी परिवर्तन की मांग, पेशकश या अनुमति, सिवाय बैंक द्वारा निविदा के मूल्यांकन के दौरान पाए गए अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि के लिए नहीं दी जाएगी।

	<p>16.2 यदि निविदा दाता बैंक के स्पष्टीकरण अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपने निविदा की स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसका निविदा अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p>
E. निविदा मूल्यांकन और तुलना	
15. निविदा दाता की योग्यता	<p>17.1 बैंक निर्धारित करेगा कि चयनित निविदा दाता इस दस्तावेज में निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।</p>
16. निविदा की जांच / मूल्यांकन	<p>18.1 निविदा दो भागों से बने होंगे, अर्थात् भाग I "कार्य का क्षेत्र और वाणिज्यिक शर्तें" और भाग II "मूल्य बोली", जो ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग जमा किए जाएंगे, जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> भाग I कार्य के क्षेत्र और वाणिज्यिक शर्तों के साथ जमा किया जाना चाहिए, निम्नलिखित के साथ: <ol style="list-style-type: none"> आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में NEFT के माध्यम से ईमानदारी धन के रूप में ₹1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) की राशि, खाता नं. 8614038 और IFSC कोड: RBIS0THPA01। कृपया NEFT लेनदेन टिप्पणियों में अपनी कंपनी का नाम उल्लेख करें। इस जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। कंपनी/फर्म के मुहर के साथ निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम से प्राधिकरण/पावर ऑफ अटॉर्नी। निविदा के अनुसार जमा किए जाने वाले दस्तावेजों और प्रमाणों के लिए अनुभाग VI में उल्लिखित दस्तावेज़। अंगीकार पत्र जिसमें बताया गया हो कि निविदा दाता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। कोई अन्य जानकारी जो निविदा दाता प्रस्तुत करना चाहता है।

ii. भाग ॥ "मूल्य बोली" के रूप में अलग से जमा किया जाना चाहिए, जिसमें केवल भारतीय रूपये में मूल्य शामिल होंगे, अनुभाग-VII में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप में विस्तृत मूल्य विवरण, अंकों और शब्दों दोनों में। भाग ॥ में कोई अन्य संलग्न दस्तावेज अनुमत नहीं है। भाग ॥ में पाए जाने वाले शर्तों और नियमों में कोई परिवर्तन या विचलन नहीं माना जाएगा और शून्य घोषित किया जाएगा। उद्धृत दरें अंतिम कार्य के लिए मानी जाएंगी और किसी भी बढ़ोतरी के बिना दृढ़ और बाध्यकारी होंगी।

iii. भाग । के निविदा उन निविदा दाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे, जो उपस्थित रहना चुनते हैं।

iv. निविदा की पहले जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं; जो निविदा मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अस्वीकार्य माना जाएगा और अनदेखा किया जाएगा।

v. भाग । के निविदा की जांच के बाद जो निविदा दाता योग्य पाए जाएंगे, उनकी मूल्य बोली (भाग ॥) इस दस्तावेज में उल्लिखित तिथि पर खोली जाएगी।

vi. बैंक उस निविदा दाता(ओं) को संविदा प्रदान करेगा जिसकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के लिए मूल्यांकन के आधार पर अनुकूल होगी और जिसने अनुमानित मूल्य के अनुरूप बोली मूल्य प्रस्तुत किया होगा, जिसमें संविदा के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखकर L1 निर्धारित किया जाएगा।

vii. निविदा दस्तावेज में पहले से शामिल शर्तों और नियमों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिनके आधार पर निविदा प्राप्त किए गए हैं और जिन शर्तों, नियमों आदि का निविदा दाताओं ने अपने निविदा में उल्लेख किया है। निविदा की जांच और मूल्यांकन के दौरान कोई नई शर्त नहीं लाई जाएगी।

viii. कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निम्नतम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार न करने का अधिकार होगा और किसी भी चरण में

	किसी भी या सभी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार रखेगा, बिना किसी कारण के।
17. बैंक का कोई भी निविदा स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदा अस्वीकार करने का अधिकार	19.1 बैंक को किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने और संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और सभी निविदा अस्वीकार करने का अधिकार है, बिना निविदा दाताओं के प्रति किसी भी दायित्व के या किसी कारण के बताए। इसके अलावा, सशर्त बोलियां तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी।
F. संविदा प्रदान	
18. संविदा की अवधि	<p>20.1 संविदा प्रदान एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, अर्थात् 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक, जिसे दो वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है (एक वर्ष समय-समय पर), शर्तों और नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ या बिना, संविदा की शर्तों और नियमों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन।</p> <p>20.2. बैंक से उसके निविदा के स्वीकार की सूचना प्राप्त करने के बाद, सफल निविदा दाता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदा दाता एक सप्ताह के भीतर संविदा के शर्तों और नियमों के अनुसार, अनुभाग IV में निर्दिष्ट, और अंतिम रूप से निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।</p>

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

ए. सामान्य शर्तें:

- बैंक निविदा दस्तावेज़ की पूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- यदि कोटेशन दरों के अंक और शब्दों में कोई अंतर होता है, तो निविदा का मूल्यांकन करते समय शब्दों में दर को विचार में लिया जाएगा।

iii. निविदा दाता को निविदा दस्तावेज़ में दिए गए सभी निर्देशों, फॉर्मों, शर्तों और विनिर्देशों की जांच करनी चाहिए। निविदा दस्तावेज़ द्वारा आवश्यक जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के कारण निविदा अस्वीकृत किया जा सकता है।

iv. मूल्य बोली में दरें/कोटेशन अंतिम और अपरिवर्तनीय होंगी और संविदा अवधि के दौरान किसी भी बहाने से बढ़ाई नहीं जाएंगी, इसलिए बोलीदाता भविष्य में मूल्य में संभावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें दें। हालांकि, यदि करों में कोई वृद्धि होती है, जैसे कि जीएसटी, तो ठेकेदार को मुआवजा दिया जाएगा।

v. न्यूनतम मजदूरी (भारत सरकार), ईपीएफ, ईएसआई, बोनस आदि जैसी कानूनी दायित्वों के अनुसार नहीं होने वाली मूल्य बोलियां अस्वीकृत की जाएंगी।

vi. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से सभी कानूनी कटौतियां की जाएंगी। अतः मूल्य बोली को समावेशी होनी चाहिए।

vii. मूल्य बोलियां ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों को प्रदान किए गए यूनिफॉर्म और पहचान पत्र तथा हाथ के दस्ताने, हेलमेट, मास्क आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों की लागत सम्मिलित होंगी।

viii. ठेकेदार के विरुद्ध कोई भी मामला/आरोप जांच/पूछताछ/मुकदमे के अधीन नहीं होना चाहिए, न ही उसे किसी न्यायालय में दोषी ठहराया गया होना चाहिए या किसी संगठन द्वारा किसी भी आधार पर निलंबित/काली सूची में डाला गया होना चाहिए।

ix. आरबीआई अपने द्वारा सहन किए गए नुकसानों के लिए ठेकेदार की विफलता या संविदा के समाप्त होने या ठेकेदार के विलय/दिवालियापन या गठन में परिवर्तन के कारण प्रदर्शन बैंक गारंटी का कोई भी हिस्सा या पूरी राशि वसूल करने का अधिकार रखता है। ऐसे नुकसान, क्षति, शुल्क, खर्च या लागत के संबंध में आरबीआई का निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

x. यदि ठेकेदार संविदा की अवधि समाप्त होने से पहले संविदा बंद कर देता है, तो उसकी प्रदर्शन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

xi. यदि आरबीआई की संपत्ति/संपत्ति के साथ चोरी, चुराई या टूटने आदि की घटना होती है, तो ठेकेदार ऐसे नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक अनुसंधान करने के बाद ठेकेदार के मासिक बिलों/प्रदर्शन बैंक गारंटी से ऐसे नुकसान की राशि काटने का अधिकार रखता है। बैंक का इस संबंध में निर्णय पक्षों के लिए अंतिम और

बाध्यकारी होगा। यदि प्रदर्शन असंतोषजनक होता है या निविदा/संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो संविदा रद्द किया जा सकता है और प्रदर्शन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

xii. यदि ठेकेदार के गठन में कोई परिवर्तन होता है, तो आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के अधिकारों को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और ऐसा परिवर्तन प्रभाव में आने से पहले आरबीआई को लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

xiii. ठेकेदार संविदा पर स्टैम्प ऊँटी वहन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संविदा महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम, 1958 (एमएस अधिनियम) की अनुसूची I के अनुच्छेद 5(एच)(बी) और महाराष्ट्र स्टैम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2024 के साथ पढ़ा जाए। संविदा दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, और बैंक मूल प्रति रखेगा और ठेकेदार दूसरी प्रति रखेगा।

बी. निविदा की अयोग्यता / अस्वीकृति की स्थितियां

i. यदि कोई निविदाकर्ता या उसके पक्ष से किसी भी प्रकार का दबाव डाला जाता है या राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो उसे चयन प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जाएगा। ऐसी स्थिति में, निविदाकर्ता का निविदा अस्वीकृत किया जाएगा और उसे कम से कम एक वर्ष तक, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, काली सूची में डाला जाएगा। यदि ऐसी घटनाएं चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चलती हैं लेकिन बाद में पता चलती हैं, तो तुरंत ऐसी अयोग्यता लागू होगी।

ii. सभी निविदा सभी संबंधित अनुलग्नकों/संलग्नकों/परिशिष्टों के साथ पूर्ण होने चाहिए। अधूरे फॉर्म या निर्धारित प्रारूप से भिन्न किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त निविदा या उचित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना प्राप्त निविदा बैंक द्वारा तुरंत और अंतिम रूप से अस्वीकृत किए जाएंगे।

iii. फैक्स या ईमेल या निर्दिष्ट प्रारूप के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे और तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। इस मामले पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv. निर्धारित ईएमडी/प्रसंस्करण शुल्क के बिना या कम राशि के साथ प्राप्त बोलियां तुरंत अस्वीकृत की जाएंगी।

v. निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदा तुरंत अस्वीकृत किए जाएंगे।

vi. प्रतिबंधित निविदा तुरंत अस्वीकृत किए जाएंगे, और कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी।

vii. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई भी निविदा संशोधित नहीं किया जा सकता है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और निविदा वैधता अवधि के बीच के अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं लिया जा सकता है। इस अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने से ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

viii. वैकल्पिक प्रस्ताव/पूर्णता के लिए समय अनुमत नहीं है।

ix. यदि सफल निविदाकर्ता संविदा पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, संविदा को रद्द करता है या संविदा की वैधता के दौरान किसी भी समय सेवा में बाधा उत्पन्न करता है, तो बैंक के पास रखी गई ईएमडी/प्रदर्शन बैंक गारंटी जब्त/अभिभूत की जाएगी और निविदाकर्ता को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से बारी कर दिया जाएगा।

सी. विवाद निपटान

i. ध्यान दें कि इस निविदा की शर्तों और नियमों पर किसी भी/सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण प्रभावी होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी किया गया है)।

ii. यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, जो संविदा या कार्य के निष्पादन से संबंधित है, तो पक्षों को 30 दिनों के भीतर आपसी चर्चा के माध्यम से अच्छे विश्वास में इसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने के लिए नोटिस देता है।

iii. यदि उपरोक्त अवधि के भीतर सहमति नहीं बनती है, तो विवाद को अंतिम रूप से संविदा और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार निपटाया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा और संविदा पर लागू होगा।

डी. अप्रत्याशित घटना

i. इस दस्तावेज में अन्य किसी भी बात के बावजूद, यदि किसी भी पक्ष के द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन में देरी होती है और यह देरी उसके तर्कसंगत नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण होती है (जिसमें सरकारों के कार्य, ईश्वर के कार्य, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाएं, किसी भी क्षेत्र में हड़ताल, दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित) शामिल हैं), तो वह पक्ष देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते ऐसी देरी उस पक्ष के आपूर्तिकर्ता द्वारा न हो जो उस पक्ष को देरी कर रहा है, जब तक कि ऐसी देरी आपूर्तिकर्ता के तर्कसंगत नियंत्रण से परे न हो।

ई. अस्वीकरण

i. इस दस्तावेज की तैयारी में पर्याप्त देखभाल की गई है, लेकिन निविदाकर्ताओं को स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि दस्तावेज सभी संबंधित मामलों में पूर्ण है। किसी भी असंगति की सूचना तुरंत इस कार्यालय को दी जानी चाहिए। यदि एनआईटी की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना नहीं मिलती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी संबंधित मामलों में पूर्ण है।

ii. बैंक को इस दस्तावेज को संशोधित, संशोधित या पूरक करने का अधिकार है, जिसमें सभी प्रारूप और परिशिष्ट शामिल हैं।

iii. जबकि इस दस्तावेज की तैयारी अच्छे विश्वास में की गई है, बैंक या उनके कर्मचारी या सलाहकार कोई भी प्रतिनिधित्व या गारंटी, स्पष्ट या निहित, नहीं करते हैं, या किसी भी रूप से जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं, और किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियमों के तहत इस दस्तावेज की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई दायित्व नहीं लेते हैं, भले ही किसी भी तरह का कार्य या चूक उनके हाथ से हो।

एफ. गोपनीयता विवरणी

i. इस निविदा दस्तावेज में या बाद में बैंक या उसके कर्मचारियों द्वारा मौखिक या लिखित रूप से निविदाकर्ता(ओं) को प्रदान की गई जानकारी इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित शर्तों और नियमों और ऐसी जानकारी प्रदान करने के अन्य सभी शर्तों और नियमों के अधीन होगी।

ii. इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य निविदाकर्ता(ओं) को उनके प्रस्तावों के निर्माण में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।

iii. यह निविदा दस्तावेज यह दावा नहीं करता है कि यह सभी जानकारी शामिल करता है जो प्रत्येक निविदाकर्ता को आवश्यक हो सकती है।

iv. यह निविदा दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए प्रत्येक बोलीदाता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है जो इस निविदा दस्तावेज को पढ़ते या उपयोग करते हैं।

v. प्रत्येक निविदाकर्ता को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

vi. बैंक और कर्मचारी कोई भी प्रतिनिधित्व या गारंटी नहीं करते हैं और किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियमों के तहत निविदा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में कोई दायित्व नहीं लेते हैं।

vii. यह दस्तावेज और उसमें प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है और केवल निविदाकर्ता(ओं) के उपयोग के लिए है।

अनुभाग IV

संविदा की शर्तें: आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के लिए सिक्कों के थैलों और नोट बॉक्सों के संचालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति

कार्य का क्षेत्रः

निविदाकर्ता को निम्नलिखित के लिए आवश्यक संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करनी होगी:

- (i) आरबीआई, तिरुवनंतपुरम या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में सिक्कों के थैलों की लदाई, उतराई, वजन, ढोना, फैलाना, ढेर करना और अन्य आपूर्ति का कार्य।
- (ii) आरबीआई तिरुवनंतपुरम, रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में ताज़ा नोट बॉक्सों की लदाई, उतराई, ढेर करना, फैलाना।
- (iii) मुख्य कार्यालय इमारत (एमओबी), आरबीआई तिरुवनंतपुरम भूतल से खाली प्रेस नोट बॉक्सों (एल्यूमीनियम/स्टील/लकड़ी) को स्थानांतरित करना और एमओबी परिसर में डंपिंग यार्ड में जमा करना और इसके विपरीत।
- (iv) ठेकेदार को आरबीआई तिरुवनंतपुरम, रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में कंटेनर/ट्रक से लदाई / उतराई करने और परिसर के भीतर आंतरिक गतिविधि के लिए पर्याप्त संख्या में हाइड्रॉलिक ट्रॉली की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

योग्यता:

निविदाकर्ता एक प्रतिष्ठित, अनुभवी और लाइसेंस धारक श्रम ठेकेदार होना चाहिए जिसके पास है:

I. बोलीदाता के पास 31 मार्च, 2025 तक केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों के लिए समान प्रकार की सेवाओं का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ऐसी सेवाओं के साथ लिस्ट के साथ सेवा की अवधि प्रदान की जानी चाहिए।

II. बोलीदाता के पास पिछले तीन वर्षों में समान सेवाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन/पूर्णता होनी चाहिए, अर्थात् वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्ष:

a. तीन समान पूर्ण सेवाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) से कम नहीं हो; या

I. दो समान पूर्ण सेवाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) से कम नहीं हो; या

II. एक समान पूर्ण सेवा जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) से कम नहीं हो।

नोट: 'समान सेवाएं' शब्द का अर्थ ऐसी प्रत्येक सेवा से होगा जैसे आरबीआई के अन्य मुद्रा कार्यालयों और अन्य बैंकों के मुद्रा गोदामों में नोट बॉक्स और सिक्कों के बैगों को संभालने के लिए श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति।

(III) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, अंतिम वर्ष 31 मार्च, 2025, के दौरान अनुमानित लागत के कम से कम 30% का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर, जिसे ऑडिट किए गए वित्तीय बयानों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

(IV) नवीनतम ऑडिट किए गए बैलेंस शीट के अनुसार सकारात्मक शुद्ध संपत्ति। निविदाकर्ता एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रमाणित सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे।

(V) ठेकेदार के पास भारत सरकार के सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी एक वैध लाइसेंस होना चाहिए जैसा कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 की धारा 12(1) में प्रदान किया गया है।

(VI) निविदाकर्ता के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन नंबर होना चाहिए, जैसा कि कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लागू है।

(VII) यदि संविदा का सफल आवंटन होता है, तो निविदाकर्ता के पास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए।

(VIII) निविदाकर्ता को किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता रखना चाहिए। बैंक को बैंक का नाम और खाते की प्रकृति बताई जानी चाहिए।

नोट: निविदाकर्ता अपनी योग्यता/योग्यता के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे। कृपया ध्यान दें कि ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, सभी संभावित निविदाकर्ताओं को एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निर्धारित सभी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए और आवश्यक लॉग-इन आईडी/पासवर्ड और बोली लगाने के लिए सिस्टम/पोर्टल का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सिस्टम किसी भी व्यक्ति/फर्म को एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर लॉग-इन करने और निविदा दस्तावेज/अन्य शर्तों को देखने की अनुमति नहीं देगा यदि उनके पास प्रमाणित लॉग-इन आईडी और पासवर्ड नहीं हैं। इसके अलावा, आवश्यक अनुमोदन/समर्थन दस्तावेजों के बिना या उपरोक्त मानदंडों में से किसी एक को पूरा न करने वाले एंटिटी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई ई-निविदा/ई-बोली सिस्टम द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा और कोई भी अनुरोध या दावा पुनर्विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में एमएसटीसी लिमिटेड का निर्णय अंतिम होगा।

प्रारंभ / नवीनीकरण:

(i) बैंक से निविदा के स्वीकार की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता(ओं) को संविदा को लागू करने और लागू करने के लिए बाध्य होना चाहिए। सफल निविदाकर्ता(ओं) को एक सप्ताह के भीतर निविदा दस्तावेज और दरों की अनुसूची के अनुसार बैंक के साथ एक करार करना होगा।

(ii) संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा (यानी 01 अप्रैल, 2026 – 31 मार्च, 2027), जिसे बैंक अपने विवेक से दो वर्षों के लिए आगे बढ़ा सकता है (एक वर्ष के अंतराल पर), शर्तों और शर्तों में परिवर्तन के साथ या बिना, संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर। उसके बाद नए निविदा के लिए नई बोली लगाई जा सकती है।

(iii) जब संविदा की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो बैंक संविदा के नवीनीकरण पर विचार कर सकता है। मौजूदा संविदा के समाप्त होने से तीन महीने पहले, ठेकेदार को बैंक को लिखित रूप से सूचित करना चाहिए कि वह मौजूदा शर्तों और शर्तों पर संविदा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं।

बयाना जमा राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी:

(i) रुचि रखने वाले निविदाकर्ता ईमानदारी धन (अनुमानित निविदा लागत का 2%) जमा करेंगे, जो ₹1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार रुपए मात्र) है, जैसा कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत पत्र के अनुसार आदेश के अनुसार आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, खाता संख्या 8614038 और आईएफएससी कोड: RBIS0THPA01। कृपया एनईएफटी लेनदेन के टिप्पणियों में अपनी कंपनी का नाम लिखें। यदि निविदाकर्ता, निविदा जमा करने के बाद, अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है, या शर्तों और शर्तों को संशोधित करता है जो बैंक के लिए स्वीकार्य नहीं हैं, तो ईएमडी बिना किसी कारण बताए जब्त कर लिया जाएगा।

(ii) आवश्यक ईएमडी के बिना प्राप्त ई-निविदा कोटेशन अस्वीकृत किए जाएंगे।

(iii) संविदा के तहत दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए, आरबीआई द्वारा संविदा जारी करने की सूचना के 10 दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता को एक अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी, अनुमानित निविदा लागत का 5%) एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से प्रदान करना होगा, जो बैंक के पक्ष में कम से कम ₹3,15,000 (तीन लाख पंद्रह हजार रुपए मात्र) की राशि के लिए होगा। पीबीजी संविदा की पूरी अवधि के लिए वैध रहेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में पीबीजी के जमा करने में देरी होने पर, बैंक दर पर देरी के शुल्क ठेकेदार के बिलों से वसूल किए जाएंगे। पीबीजी की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(iv) यदि बैंक ई-निविदा को वापस लेता है या रद्द करता है, जिसका अधिकार उसे किसी भी समय है, तो निविदाकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने या उसकी तैयारी में किए गए व्यय या एमएसटीसी लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन शुल्क या अन्य शुल्क/शुल्क के लिए कोई मुआवजा/भुगतान नहीं दिया जाएगा।

(v) यदि सफल निविदाकर्ता इस निविदा दस्तावेज के अनुसार पीबीजी प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा, बैंक द्वारा अनुभव किए गए किसी भी अतिरिक्त नुकसान या क्षति के लिए निविदाकर्ता की जिम्मेदारी के बिना।

ठेकेदार के कर्तव्य:

संविदा की वैधता अवधि तक संविदा को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी रहेगी। यदि ठेकेदार निर्धारित कार्य को पूरा नहीं करता है, तो उसकी पीबीजी अभिभूत की जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार को बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना होगा जो उसकी लापरवाही के कारण होता है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

I. ठेकेदार संविदा अवधि के दौरान, आरबीआई, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, मुद्रा विभाग के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक या उनके किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा लिखित या मौखिक अनुरोध प्राप्त होने के बारह घंटे के भीतर, नोट/सिक्कों वाले खजाने के बॉक्स/बैगों को संभालने और आरबीआई तिरुवनंतपुरम या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में अन्य आपूर्ति के कार्यों के लिए आवश्यक संख्या में सक्षम मजदूर/श्रमिकों की आपूर्ति करेगा।

II. ऐसा नोटिस जिसे दिया गया है, उसका पालन किया जाना चाहिए, भले ही यह सामान्य कार्य घंटों से अधिक काम करने या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक छुट्टी के रूप में घोषित दिन/दिनों पर काम करने की आवश्यकता हो, जिसमें शनिवार और रविवार या इस संबंध में लागू किसी अन्य वर्तमान कानून/प्रावधान शामिल है।

III. आपातकालीन मामलों/परिस्थितियों में, ठेकेदार को तीन घंटे की अत्य अवधि में पर्याप्त संख्या में मजदूरों की आपूर्ति करनी चाहिए। बैंक के लिए किसी भी मामले/परिस्थिति को आपातकालीन मानने का निर्णय बैंक के पास होगा और इस संविदा के उद्देश्य के लिए यह पर्याप्त होगा कि बैंक ने ऐसी सूचना दी है और इसे आपातकालीन घोषित किया है। ठेकेदार को इसका पालन करना चाहिए और इसके अनुसार कार्य करना चाहिए। सिक्कों के बैगों और नोट बॉक्सों को लोड और अनलोड करना एक बंद क्षेत्र में, अर्थात् सुरक्षा-यार्ड में किया जाएगा।

IV. ठेकेदार संविदा को अग्रिम करने के लिए नहीं होगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को सबलीज नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, बैंक संविदा रद्द कर सकता है और पीबीजी अभिभूत कर सकता है।

V. ठेकेदार बैंक को किसी भी क्षति या नुकसान की भरपूरता करेगा जो उसके मजदूरों की अक्षमता/गतिविधि या अपर्याप्त मजदूरों की तैनाती के कारण होता है या वजन, लोड, अनलोड, भंडारण, कार्गो, पैकिंग, अनपैकिंग, ढोना और खजाने के बॉक्स/सिक्कों के बैगों की डिलीवरी में किसी भी अक्षमता, लापरवाही या दोष या देरी के कारण होता है या उसके या उसके मजदूरों या अन्य कर्मचारियों द्वारा किसी भी बेईमानी या धोखाधड़ी के आचरण के कारण होता है।

VI. बैंक को उन मजदूरों/कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग न करने का अधिकार है जो कार्य करने में अक्षम और/या लापरवाह हैं। बैंक को उन कर्मचारियों/मजदूरों की सेवाओं का उपयोग बंद करने का अधिकार भी है जिन्हें बैंक में या अन्यथा धोखाधड़ी या बेईमानी की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। बैंक से ऐसी दिशा प्राप्त होने पर, ठेकेदार तुरंत ऐसे कर्मचारियों/मजदूरों की सेवाओं का उपयोग बंद कर देगा। यदि ठेकेदार बैंक की दिशा का पालन नहीं करता है,

तो बैंक प्रति व्यक्ति प्रति दिन 500 रुपए (पांच सौ रुपए मात्र) का जुर्माना लगा सकता है। यदि लगातार अनुपालन या बार-बार दोहराव होता है, तो बैंक संविदा रद्द कर सकता है और पीबीजी अभिभूत कर सकता है।

VII. ठेकेदार को अपने द्वारा नियुक्त श्रमिकों के लिए उचित दायित्व बीमा कवर लेना चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा कवर इस करार की समाप्ति तक हमेशा जीवित रहे। आरबीआई तिरुवनंतपुरम के मुद्रा विभाग के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-इन-चार्ज को ठेकेदार द्वारा खरीदी गई बीमा नीतियों को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा, जांच या समीक्षा करने का अधिकार होगा ताकि वह ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट हो सके। यदि महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-इन-चार्ज, आरबीआई तिरुवनंतपुरम निर्धारित करते हैं कि बीमा कवर की राशि पर्याप्त नहीं है या संविदा के कर्मचारियों के लिए जो जोखिम हैं उन्हें नहीं कवर करती है, तो ठेकेदार अतिरिक्त राशि और जोखिमों के लिए बीमा कवर खरीदेगा जिसे महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-इन-चार्ज, आरबीआई तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है, तो बैंक अतिरिक्त राशि और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में अपने द्वारा किए गए खर्च की वसूली ठेकेदार से करेगा।

VIII. ठेकेदार को बैंक से संविदा आवंटन के बारे में पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद, उन मजदूरों, सुपरवाइजरों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के नामों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जो इस करार के विषय के कार्यों के निष्पादन से संबंधित होंगे। ठेकेदार को आवश्यकता पड़ने पर बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, मजदूरों, सहायकों, सुपरवाइजरों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तस्वीरें, निवासी पते, स्थायी पते, पुलिस सत्यापन रिकॉर्ड और चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने चाहिए। ठेकेदार को संविदा शुरू होने से पहले सभी मजदूरों, सहायकों, सुपरवाइजरों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के पृष्ठभूमि और चरित्र की पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन कराना चाहिए। प्रत्येक मजदूर के वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) की प्रतियां ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

IX. ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य/गतिविधियां उचित, सावधानीपूर्वक, त्वरित और कुशल तरीके से की जाएं। सभी कार्य/गतिविधियां नोट बॉक्सों और सिक्कों के बैगों, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि और सामान्य जनता या बैंक के परिसर में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना की जाएं। निविदाकर्ता को उन ठेकेदार के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा जो श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा।

X. इस करार के तहत कार्य के निष्पादन के लिए नियुक्त संविदा श्रमिकों की निगरानी और नियंत्रण ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। संविदा श्रमिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के लिए रिकॉर्ड/मस्तर का रखरखाव ठेकेदार की जिम्मेदारी होगा और ऐसा रिकॉर्ड/मस्तर हमेशा ठेकेदार के नियंत्रण में रहेगा।

XI. ठेकेदार संविदा के दौरान सभी समय संविदा श्रमिकों में अनुशासन बनाए रखेगा और छट्टी या अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दों का प्रशासन करेगा। ठेकेदार सभी मजदूरों और अन्य कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र जारी करेगा जो इस करार के विषय के कार्यों के निष्पादन से संबंधित होंगे।

XII. ठेकेदार आरबीआई तिरुवनंतपुरम, रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में कंटेनर/ट्रक से लोड/अनलोड और परिसर के भीतर अंतरिक गतिविधि के लिए पर्याप्त संख्या में हाइड्रॉलिक ट्रॉली की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

भुगतान और कर:

(i) भुगतान प्रत्येक भेजे गए सामान के लिए बिल जमा करने के बाद मासिक आधार पर किया जाएगा, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो। ठेकेदार द्वारा जमा किए गए बिलों का भुगतान अंतिम राशि को निकटतम ₹1/- तक समायोजित करके किया जाएगा। भुगतान विभिन्न हितधारकों से कार्य के पूर्ण होने के संबंध में आवश्यक प्रमाणपत्र/डेटा/जानकारी प्राप्त करने और बिल को सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाने के बाद किया जाएगा। बैंक किसी भी कम दावे के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) ठेकेदार को इस संविदा के अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क दिया जाएगा। उक्त शुल्क निश्चित हैं और संपूर्ण संविदा अवधि के लिए किसी भी आधार पर बढ़ाए नहीं जा सकते हैं और ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क दावा नहीं किया जाएगा।

(iii) संविदा मूल्य सभी समावेशी होगा जिसमें निश्चित और संचालन शुल्क शामिल होंगे और कार्य के दायरे, आपूर्ति किए गए वाहन के आधार पर होगा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ड्राइवर का वेतन/यूनिफॉर्म/भोजन/भत्ते/सुरक्षा उपकरण आदि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा और अतिरिक्त घंटों के वेतन, यदि कोई हो, सभी कर, शुल्क, स्थानीय कर, कार्य संविदा कर, GST, या केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए अन्य कर, जो वर्तमान दरों पर लागू होते हैं, शामिल नहीं होंगे। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे कर और शुल्क शामिल नहीं करता है, तो बैंक बाद में इसका कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा। ठेकेदार को भुगतान सभी भुगतानों पर स्रोत पर कर कर्तौती के अधीन होंगे, जो संबंधित कानूनों/नियमों के अनुसार निर्धारित दर पर होगा।

(iv) ठेकेदार को बैंक को प्रत्येक दावे के लिए सभी समर्थन दस्तावेज उचित रूप से और संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करके प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को गलत/गलत दावों से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी होगी। बैंक को भुगतान के बाद पोस्ट-भुगतान ऑडिट या तकनीकी परीक्षण या किसी अन्य तरीके से पता चलने वाले किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली करने/वसूली कराने का अधिकार है। यदि किसी बिल के भुगतान के बाद ठेकेदार द्वारा किसी बिल के संबंध में कम दावा पाया जाता है/दावा किया जाता है, तो बैंक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अलावा, यदि बैंक द्वारा गलत दावों की अनुचित दोहराव या जानबूझकर गलत बिलों का उत्पादन देखा/मूल्यांकन किया जाता है, तो उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जो क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-इन-चार्ज के विवेक पर निर्भर करेगी।

(v) संविदा के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि ठेकेदार को देय या देय होने वाली राशि से काट ली जाएगी। PBG को अंतिम उपाय के रूप में लागू किया जा सकता है।

(vi) यदि इस संविदा के तहत किसी दायित्व के उद्धर के संबंध में कोई विवाद होता है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-इन-चार्ज का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(vii) ठेकेदार को बैंक को प्रत्येक दावे के लिए सभी समर्थन दस्तावेज उचित रूप से और संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करके प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को गलत/गलत दावों से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी होगी।

अयोग्यता/ समाप्ति/ दंड:

I. यदि कोई निविदाकर्ता बैंक के निर्णय पर प्रभाव डालने के लिए अपने या अपने प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की जांच, तुलना, मूल्यांकन और संविदा के आवंटन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव का प्रयास करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता का निविदा अस्वीकृत किया जाने के साथ-साथ न्यूनतम एक वर्ष के लिए, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, काली सूची में डाला जाएगा। यदि ऐसी घटनाएं चयन प्रक्रिया के दौरान पकड़ी नहीं जाती हैं लेकिन बाद में पकड़ी जाती हैं, तो ऐसी अयोग्यता तुरंत प्रभावी होगी।

II. दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष किसी भी कारण से तीन महीने की लिखित सूचना देकर संविदा को समाप्त कर सकता है।

III. यदि ठेकेदार द्वारा बैंक द्वारा जारी श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति के लिए किसी अनुरोध के साथ सहमति नहीं करने में देरी होती है या संविदा के निर्देशों का उल्लंघन होता है, जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम के मुद्रा विभाग के जनरल मैनेजर/डिप्टी जनरल मैनेजर-इन-चार्ज द्वारा दंड लगाने योग्य गंभीर माना जाता है, तो उक्त जनरल मैनेजर/डीजीएम-इन-चार्ज, क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-इन-चार्ज के परामर्श से, प्रत्येक मामले में ₹10,000 (केवल दस हजार रुपये) से अधिक नहीं का जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जा सकता है।

IV. यदि बार-बार या निरंतर देरी होती है या इस करार के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो बैंक लिखित सूचना देकर संविदा को तुरंत समाप्त कर सकता है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए मुद्रा विभाग के जनरल मैनेजर/डिप्टी जनरल मैनेजर-इन-चार्ज द्वारा क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-इन-चार्ज की मंजूरी के साथ दी जाएगी, चाहे ऐसी देरी या उल्लंघन के लिए पहले से कोई दंड लगाया गया हो या नहीं। संविदा के प्रारंभिक समाप्ति के मामले में, बैंक ठेकेदार को कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

V. संविदा का निरंतर रहना मुख्य रूप से ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक तीन महीने की लिखित सूचना देकर संविदा को समाप्त कर सकता है। संविदा का संतोषजनक या असंतोषजनक प्रदर्शन केवल बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और यह ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

VI. यदि ठेकेदार लगातार तीन बार से अधिक सेवाएं प्रदान नहीं करता है, तो बैंक को किसी भी कारण से नोटिस दिए बिना संविदा को समाप्त करने का अधिकार है। ऐसी परिस्थितियों में ठेकेदार को कोई मुआवजा दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

VII. सभी मामलों में जहां ठेकेदार पर कुल संविदा मूल्य के पांच प्रतिशत (5%) का संचयी दंड लगाया गया है, दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

VIII. यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा जमा किए गए किसी प्रमाणपत्र/दस्तावेज या प्रदान किए गए विवरण गलत/नकली/झूठे/बदले हुए पाए जाते हैं या जानकारी नहीं दी गई है, तो संबंधित निविदाकर्ता को काली सूची में डाला जाएगा और उसे आरबीआई में कोई भी भविष्य का कार्य नहीं दिया जाएगा। ऐसी एजेंसियों के साथ जुड़े किसी भी संयुक्त उद्यम या साझेदारी फर्म या किसी अन्य प्रकृति की फर्म को भी कोई भविष्य का कार्य नहीं दिया जाएगा।

संविधियों का अनुपालन:

ठेकेदार देश और संबंधित राज्यों में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार बैंक को अपनी लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से बचाएगा और जिसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।

I. ठेकेदार को श्रम, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, कल्याण, कराधान और रोजगार स्थितियों से संबंधित सभी लागू कानूनों, जिसमें वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उनके तहत बनाए गए नियम शामिल हैं, के सभी लागू वैधानिक दायित्वों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा, और बैंक को ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा अनुपालन न करने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व, दावा, जुर्माना, हानि या मुकदमे से बचाएगा और बचाए रखेगा।

II. ठेकेदार को अपने तैनात कर्मचारियों के लिए सभी लागू वैधानिक भुगतान जैसे न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेचुटी का भुगतान, जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार, जो भी अधिक हो, के अलावा अन्य सभी वैधानिक भुगतान करने होंगे।

III. कर्मचारी/मजदूर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा, कर्मचारी/मजदूरों को EPF अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस और/या लाभांश भुगतान अधिनियम, 1965 और लागू ESI अधिनियम के तहत ESI देना चाहिए। ESI के अभाव में, ठेकेदार को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा जैसे बीमा के तहत जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन

किया जाना चाहिए। ठेकेदार के पास अपने कर्मचारी/मजदूरों के लिए PF योगदान करने के लिए एक वैध PF खाता होना चाहिए। यदि किसी भी वैधानिक भुगतानों के अनुपालन के संबंध में कोई शिकायत होती है, तो उसे बिल से कटौती की जाएगी, बैंक के संविदा रद्द करने के अधिकार के बिना। ठेकेदार को वर्तमान वैधानिक अनुसार सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेज अद्यतन रखने होंगे और प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करने होंगे।

IV. ठेकेदार को वर्तमान वैधानिक अनुसार सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेज अद्यतन रखने होंगे और प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करने होंगे।

V. ठेकेदार को बाल श्रमिक नहीं आपूर्ति करना चाहिए, जो बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत निषिद्ध है।

VI. मजदूरी अवधि ठेकेदार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार को बैंक द्वारा सत्यापन के लिए मासिक आधार पर बैंक के लिए तैनात अपने कर्मचारियों के खिलाफ हस्ताक्षर वाले वेतन वितरण बयान प्रस्तुत करने होंगे। सभी कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा उनके बैंक खातों में भुगतान करने होंगे और भुगतान दर्शने वाले बैंक स्टेटमेंट बैंक को प्रस्तुत करने होंगे।

VII. मुख्य नियोक्ता, अर्थात् बैंक, ठेकेदार द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रदान किए गए कर्मचारियों को कोई रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि बैंक के रूप में मुख्य नियोक्ता को किसी भी कानून के तहत ठेकेदार के कर्मचारियों को कोई राशि भुगतान करने के लिए आवश्यक/आमंत्रित किया जाता है, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से बैंक के लिए ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

VIII. ठेकेदार को किसी भी मजदूर या अन्य व्यक्ति द्वारा संविदा के निष्पादन के लिए तैनात किए गए लिए यौन उत्पीड़न कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिसर में उसके कर्मचारी/मजदूर के खिलाफ किसी भी यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और वह अधिनियम के तहत उक्त शिकायत के संबंध में उचित

कार्वाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

IX. यदि ठेकेदार के किसी अभियुक्त कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा उसकी गंभीरता से जांच की जाएगी।

X. ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे मामले में देय हो सकता है जहां घटना ठेकेदार के कर्मचारियों से संबंधित है, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत।

गोपनीयता खंड:

ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरणों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, जो संविदा के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास या ज्ञान में आ सकते हैं, और इन्हें सभी समय सबसे कड़ी गोपनीयता से रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरणों को निजी और गोपनीय मानेगा, जब तक कि इसके तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक न हो। ठेकेदार किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या कहीं भी अपने कार्यों के किसी विशेष विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित होने की अनुमति देने या खुलासा करने के लिए बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं करेगा। ठेकेदार बैंक को गोपनीय जानकारी के किसी भी खुलासे के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त के अनुपालन न करने को ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने के अधिकारी होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में गोपनीय जानकारी के गैर-खुलासे के लिए इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सभी उपयुक्त कार्वाई करेगा। ठेकेदार के गैर-खुलासे और गोपनीयता के संबंध में दायित्व इस करार के समाप्त होने या समाप्ति के बाद भी, जो भी कारण हो, जारी रहेंगे।

कर्मचारियों की सुरक्षा और बीमा:

- I. ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और सुरक्षा और उनके लिए बीमा या जीवन बीमा के लिए एकमात्र और पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, जो संचालन और रखरखाव कार्यों पर काम कर रहे हैं।
- II. ठेकेदार अपनी लागत पर एक व्यापक सभी जोखिम बीमा और तीसरे पक्ष की देयता बीमा कवर लेगा और बनाए रखेगा, जो उनके द्वारा नियुक्त श्रमिकों या किसी तीसरे पक्ष के लिए व्यक्तिगत चोटों, बैंक या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान या क्षति सहित लेकिन इनके सीमित नहीं, जोखिमों के खिलाफ होगा। वह सुनिश्चित करेगा कि बीमा कवर इस करार की अवधि के दौरान हमेशा जीवित रहे। मुद्रा विभाग के जनरल मैनेजर को ठेकेदार से खरीदे गए बीमा नीतियों को प्रस्तुत करने और उन्हें सत्यापित, जांच या जांच करने का अधिकार होगा ताकि वह ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट हो सके। यदि मुद्रा विभाग के जनरल मैनेजर निर्धारित करते हैं कि बीमा कवर पर्याप्त नहीं है (राशि) या कार्य के जोखिमों को शामिल नहीं करता है जिनमें संविदा कर्मचारी शामिल हैं, तो अतिरिक्त राशि और/या मौजूदा बीमा नीति में शामिल नहीं किए गए जोखिमों के लिए अतिरिक्त बीमा कवर खरीदने के लिए ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा। यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है, तो बैंक अतिरिक्त राशि और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में वहन किए गए व्यय को ठेकेदार से वसूल करेगा।
- III. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बीमा नीति में बैंक का नाम और विक्रेता का नाम शामिल होना चाहिए, जिसमें बैंक का नाम (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम) पहले नाम के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा, बीमा नीति में कार्य का विवरण और कार्य के लिए निर्धारित स्थान भी शामिल होना चाहिए।
- IV. ठेकेदार अपने श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
- V. बैंक किसी भी घातक चोट/मृत्यु के लिए कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य करते समय/अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय/निरीक्षण या अन्य उद्देश्यों के लिए होती है।
- VI. उद्धृत दरें उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी, जहां सेवा प्रदान की जाती है, और सभी वैधानिक दायित्वों को शामिल करेंगी।

VII. ठेकेदार संविदा के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मचारियों के संबंध में सभी प्रकार के देय राशियों के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक को कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई देय राशि नहीं होगी।

VIII. ठेकेदार संविदा के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मचारियों के संबंध में सभी प्रकार के देय राशियों के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक को कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई देय राशि नहीं होगी।

IX. ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशे के आदी न हों और बैंक के हितों के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि में शामिल न हों। ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा तैनात किए गए सभी कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन कराया जाए और ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए गए कर्मचारी अच्छे नैतिक चरित्र वाले हों।

विवाद निपटान तंत्र और मध्यस्थता

(i) यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, जो संविदा या कार्य के निष्पादन से संबंधित है या उससे उत्पन्न होता है, तो पक्षों को 30 दिनों की अवधि के भीतर एक दूसरे पक्ष को सूचना देने के बाद पारस्परिक चर्चा के माध्यम से उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

(ii) यदि उपरोक्त अवधि के भीतर सहमति से समाधान नहीं निकलता है, तो विवाद को अंततः मध्यस्थता या करार के माध्यम से हल किया जाएगा, जैसा कि 1996 के मध्यस्थता और करार अधिनियम, समय-समय पर संशोधित, में उल्लिखित है। मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा और संविदा पर लागू होगा।

(iii) एकमात्र मध्यस्थ रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक या उनके नामित व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। यदि ऐसे मध्यस्थ जिन्हें मामला सौंपा गया है, उनका स्थानांतरण हो जाता है या वे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या काम करने से इनकार करते हैं या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो बाहर जाने वाले मध्यस्थ के स्थान पर कार्य करेगा और ऐसा नियुक्त व्यक्ति उस चरण से आगे बढ़ने के लिए अधिकारी होगा जहां उसके पूर्ववर्ती ने छोड़ा था। मध्यस्थ अंतरिम आदेश और/या निर्देश दे सकता है, जैसा आवश्यक हो।

विवाद निपटान समिति (DRC)

- (i) सभी प्रकार के विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ, अर्थात् रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-इन-चार्ज को संदर्भित किया जाएगा और उनका लिखित निर्णय सेवा प्रदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए, जो मध्यस्थता के माध्यम से नहीं हल होता है, कानूनी अधिकार क्षेत्र केवल तिरुवनंतपुरम होगा। किसी भी कानूनी विवाद को करार से हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके केवल पारस्परिक सहमति से उपयोग किए जा सकते हैं।
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-इन-चार्ज एक आंतरिक DRC का गठन करेंगे, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक बैंक का वरिष्ठ अधिकारी होगा जो संबंधित कार्य से जुड़ा नहीं होगा। DRC का कार्य विवाद को हल करना और एक सहमति समाधान तक पहुंचना होगा।

क्षेत्राधिकार और शासकीय कानून:

संविदा तिरुवनंतपुरम के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। संविदा भारत के कानूनों द्वारा शासित है।

संशोधन

इस करार में कोई भी संशोधन तभी प्रभावी होगा जब वह लिखित रूप में होगा और दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

स्टाम्प शुल्क का भुगतान

ठेकेदार इस करार की मूल प्रति पर स्टाम्प शुल्क वहन करेगा, जो दो प्रतियों में निष्पादित की जाएगी। बैंक मूल प्रति रखेगा और ठेकेदार दूसरी प्रति रखेगा।

अप्रत्याशित घटना - यदि संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय कोई पक्ष बलाकार के अधीन होता है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, ईश्वर का आदेश आदि के रूप में माना जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी

घटना के घटित होने के बारे में तुरंत सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्व के निर्वहन के संबंध में संविदा समाप्त करने के अधिकारी नहीं होगा। संविदा के तहत दायित्व जैसे ही संभव हो ऐसी घटना समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद पुनरारंभ हो जाएंगे। यदि संविदा के तहत किसी दायित्व का निर्वहन ऐसी घटना के कारण एक पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से अधिक समय तक रोका या विलंबित होता है, तो कोई भी पक्ष अपने विवेक से संविदा समाप्त कर सकता है।

शासी भाषा

यदि संविदा के अंग्रेजी और हिंदी पाठ के बीच कोई विवाद होता है, तो अंग्रेजी संस्करण प्रभावी होगा। इस करार के तहत आवश्यक सभी नोटिस, पत्राचार, जानकारी, साहित्य, डेटा, मैनुअल, प्रक्रियाएं और अन्य दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में होंगे।

अनुभाग-V

प्रस्ताव पत्र एवं तकनीकी (तकनीकी-वाणिज्यिक) बोली फॉर्म

स्थान: _____

तिथि: _____

प्रति,

भारतीय रिज़र्व बैंक
मुख्य कार्यालय भवन,
बेकरी जंक्शन,
नंदवनम, पालायम,
तिरुवनंतपुरम - 695033

महोदय,

इसके बाद निर्धारित ज्ञापन के विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची और उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य के दायरे, निविदा के खंड III और खंड IV की सावधानीपूर्वक जांच करने जिससे, उसको प्रभावित करने के रूप में उससे

संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने पर मैं हम एतद्वारा/ा यहाँ प्रस्ताव देते हैं कि हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी पहलुओं में उस ज्ञापन, के सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, पहले उल्लिखित शर्तें, विशिष्टता, मात्रा अनुसूची और उन सामग्रियों के अनुसार संपत्र करेंगे, जो प्रदान की गई हैं और अन्य सभी पहलुओं में लागू होने की संभावना अनुसार निष्पादित करेंगे।

ज्ञापन

क्र. सं.	विवरण	निविदा का विवरण
1.	कार्य का विवरण	<p>निविदाकर्ता को आवश्यक संख्या में वयस्क और कार्यक्षम श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करनी होगी, जैसा कि अनुरोध में विनिर्दिष्ट है:</p> <p>(i) आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के परिसर या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी अन्य परिसर में थैलों में पैक किए गए सिक्कों की लदाई, उत्तराई, वज़न ढोना, फैलाना, स्टैक करना और अन्य आपूर्ति से संबंधित कार्य।</p> <p>(ii) आरबीआई तिरुवनंतपुरम, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी अन्य परिसर में ताजा नोट बॉक्सों की लदाई, उत्तराई, स्टैक करना।</p> <p>(iii) मुख्य कार्यालय भवन (MOB) के भूतल से खाली प्रेस नोट बॉक्सों (एल्यूमीनियम/स्टील/लकड़ी के) को स्थानांतरित करना और उन्हें MOB परिसर में डंपिंग यार्ड में जमा करना और विलोमतः।</p> <p>(iv) ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त संख्या में हाइड्रॉलिक ट्रॉली की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, जैसे कि कंटेनर/ट्रॉकों से लदाई, उत्तराई करना और आरबीआई तिरुवनंतपुरम, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी अन्य परिसर के भीतर अंतरिक गतिविधि।</p>

2.	संविदा अवधि के दौरान आरबीआई तिरुवनंतपुरम द्वारा अनुमानित लागत/व्यय जो 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक हो सकता है	कार्य की अनुमानित लागत लगभग ₹63,00,000/- (तिरसठ लाख रुपये मात्र) है, जिसमें 18% के जीएसटी सहित एक वर्ष की संविदा अवधि के लिए अप्रैल 01, 2026 से मार्च 31, 2027 तक का व्यय शामिल है। यह राशि केवल सूचनात्मक है और आरबीआई तिरुवनंतपुरम किसी भी अनुमानित लागत/व्यय के बराबर या उससे अधिक व्यय करने के लिए बाध्य नहीं है।
3.	बयाना जमा राशि (EMD)	₹1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) अर्थात् अनुमानित लागत का 2% आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में खाता नं. 8614038 और IFSC- RBIS0THPA01 के लिए आरबीआई, तिरुवनंतपुरम में (केवल NEFT द्वारा) जमा करना होगा।
4.	भुगतान का तरीका	NEFT
5.	संविदा अवधि	एक वर्ष (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक)
6.	संविदा का विस्तार	आरबीआई तिरुवनंतपुरम अपनी विवेकानुसार संविदा को दो वर्षों तक (एक-एक वर्ष के लिए) विस्तारित कर सकता है, यदि मूल संविदा करार की शर्तों में संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, शर्तों में विविधता के साथ या बिना विविधता के।

यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम यहां सहमत हैं कि हम निविदा दस्तावेज के अनुभाग IV की निबंधनों, शर्तों और प्रावधानों का पालन करेंगे जो लागू हो सकते हैं।

फार्म के साझेदार या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

या

उस व्यक्ति का नाम जिसके पास संविदा पर हस्ताक्षर करने की मुख्तारनामा है

मुख्तारनामा की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न करनी चाहिए और उसके संलग्न न करने से

निविदा अस्वीकृत हो सकती है।

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तकनीकी बोली फॉर्म

(नोट- केवल ई-निविदा पोर्टल में भरें और अपलोड करें)

ए. सामान्य जानकारी

1.1	निविदाकर्ता का नाम		
1.2	क्या निविदाकर्ता एक कंपनी, LLP, साझेदारी फर्म या स्वामित्व विंता है?		
1.3	कंपनी/LLP/साझेदारी/स्वामित्व विंता की स्थापना की तारीख		
1.4	स्वामी/साझेदारों/निदेशकों के नाम (समर्थन के लिए दस्तावेज़ी साक्ष्य जैसे स्मरणपत्र/संगठन के लेख, साझेदारी दस्तावेज आदि और पैन नंबर जमा करें)		
1.5	संविदा निष्पादित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नाम और पद		
1.6	कंपनी/फर्म/स्वामित्व संस्था का पंजीकृत पता और संपर्क पता (कृपया पते के समर्थन के लिए टेलीफोन बिल, बिजली बिल, मोबाइल बिल आदि जैसे पते के साक्ष्य प्रस्तुत करें)	तिरुवनंतपुरम में स्थानीय पता	पंजीकृत पता

	पिन कोड			
1.7	टेलीफोन नंबर (STD कोड के साथ)	कार्यालय	निवास	फैक्स मोबाइल
1.8	ई-मेल पते			

बी. पंजीकरण विवरण (प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें)

क्र. सं.	पंजीकरण का प्रकार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तारीख
1	आयकर पैन (प्रति संलग्न करें)		
2	आयकर टैन (TDS के लिए)		
3	जीएसटी पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न करें)		
4	अन्य प्रकार का पंजीकरण		
5	भारत सरकार के सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी वैध लाइसेंस का विवरण, जैसा कि 1970 के संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम और 1971 के संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियमों की धारा 12 (1) में प्रदान किया गया है। (प्रति संलग्न करें)		

सी. फर्म की वित्तीय स्थिति

1	पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर (ऑडिट किए गए वित्तीय बयान संलग्न करने होंगे)	2022-23 (लाख में) 2023-24 (लाख में) 2024-25 (लाख में)
---	--	---

2	सबसे हाल के ऑडिट किए गए बैलेंस शीट के अनुसार शुद्ध मूल्य (प्रति संलग्न करें)	
3	निविदाकर्ता द्वारा बैंक में बनाए गए चालू खाता नंबर	
4	बैंक और शाखा का नाम और पता जहां उपरोक्त चालू खाता बनाया गया है (कृपया बैंकर का प्रमाणपत्र या रद्द चेक प्रस्तुत करें)	
5	क्या किसी अदालत में फर्म या उसके निदेशकों के खिलाफ कोई मामला लंबित है? (हां/नहीं) <u>यदि हां, तो विवरण दें:</u>	
6	क्या निविदाकर्ता को कभी बैंक या राज्य/केंद्र सरकार विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है? (हां/नहीं) (यदि फर्म या उसके निदेशकों को कभी आरबीआई द्वारा अयोग्य ठहराया गया है या किसी अपराधी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो वे आवेदन नहीं करना चाहिए)	
7	समान कार्य करने का अनुभव (वर्षों की संख्या) (प्रमाणपत्र संलग्न करने होंगे)	

डी. श्रमिकों की आपूर्ति

1	अधिकतम संख्या में श्रमिक जो निविदाकर्ता एक समय में आरबीआई द्वारा मांग के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। (संविदा के आवंटन के बाद, सफल निविदाकर्ता को श्रमिकों, सुपरवाइजर या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची जमा करनी होगी, जो कार्य के साथ जुड़े होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, निवासी पते, स्थायी पते, पुलिस सत्यापन रिकॉर्ड और श्रमिकों, सहायकों आदि के चरित्र प्रमाणपत्र। सभी कर्मचारियों के पूर्वाग्रह और चरित्र की पुलिस विभाग द्वारा जांच की जाएगी। (संविदा की शुरुआत से पहले)	
2	क्या आप अल्प समय में आवश्यक संख्या में श्रमिकों की आपूर्ति करने में सक्षम हैं?	

ई. अनुभव विवरण: पिछले तीन वर्षों के दौरान समान कार्यों/अनुबंधों को सफलतापूर्वक पूरा करने के दस्तावेज़ी साक्ष्य और संबंधित कार्य अनुभव प्रमाणपत्र निविदा के साथ जमा किए जाने चाहिए, अन्यथा आरबीआई के विवेकानुसार निविदा अस्वीकृत हो सकती है।

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पता और फोन नंबर	संविदा अवधि	संस्थान में किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य (₹)
1				
2				
3				

एफ. वर्तमान संविदा

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	पता और फोन नंबर	संविदा अवधि
1.			
2.			

जी. संपर्क विवरण: श्रमिकों के लिए अनुरोध भेजने के लिए विवरण

क्र. सं.	नाम	पद	फोन नंबर	मोबाइल नंबर	फैक्स नंबर	ईमेल पता
1.						
2.						

एच. बयाना जमाराशि का विवरण

क्र. सं.	EMD विवरण	विवरण
01	NEFT विवरण	
02	राशि (अंकों और शब्दों में)	

03	बैंक का नाम	
04	शाखा का नाम	
05	शाखा का पता	
06	शाखा का संपर्क नंबर	
07	ई-मेल पता	

आई. क्या संविदा की शर्तें निविदाकर्ता के लिए स्वीकार्य हैं? हां/नहीं

यदि हां, तो निविदा दस्तावेज के अनुभाग-III। और अनुभाग IV में दी गई संविदा की शर्तों की प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित, निविदा के साथ जमा की जानी चाहिए।

जे. घोषणा: - निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण

1. मैं/हम यह भी सहमत हैं कि हमारी निविदा बैंक द्वारा 90 दिनों तक स्वीकृति के लिए वैध रहेगी, जो भाग-I की निविदा खोलने की तारीख से शुरू होगी और यह अवधि बैंक और मेरे/हमारे बीच लिखित रूप से पारस्परिक सहमति के अनुसार बढ़ाई जा सकती है।
2. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम यहां सहमत हैं कि हम निविदा की सभी शर्तें और शर्तों का पालन करेंगे और इसके अनुपालन में विफल रहने पर, आप या आपके उत्तराधिकारी, या अधिकारी या नामित व्यक्ति को ऐसी राशि जमा करेंगे जैसा कि निविदा में निर्दिष्ट है, साथ ही संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ।
3. मैं/हम समझते हैं कि आपको किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, बिना किसी कारण के।
4. निविदा ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में जमा की जाती है, अर्थात् भाग I और भाग II। भाग I में सभी वाणिज्यिक शर्तें और शर्तें और तकनीकी विवरण होते हैं और भाग II में केवल बैंक के प्रोफॉर्मा में मूल्य बोली होती है।
5. मैं/हम द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और यदि बाद में इनमें से कोई भी गलत/असही साबित होता है, तो बैंक को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है जो वह उचित समझे।

6. मैं/हम समझते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत/असही पाई जाती है, तो हमारी निविदा किसी भी चरण पर अस्वीकृत हो सकती है और आरबीआई का इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा। मैं/हम इस संबंध में आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में कोई विवाद नहीं उठाएंगे।

निविदाकर्ताों को सूचित किया जाता है कि वे कार्य/गतिविधियों के स्थलों, अर्थात् बैंक परिसर का दौरा करें और निविदा जमा करने से पहले स्थल की स्थिति से परिचित हो जाएं।

इस दिन ____ तारीख ____ 2026

मेसर्स _____ के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर

(कंपनी/फर्म का मुहर):

नाम:

पद:

स्थान:

तारीख:

_____ (उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकृत करने वाला मुख्यतारनामे की सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिए)

साक्षी

1) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

2 नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

नोट:

निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे कार्य/गतिविधियों के स्थलों, अर्थात् बैंक परिसर का दौरा करें और निविदा जमा करने से पहले स्थल की स्थिति से परिचित हो जाएं। यह केवल प्री-बोली मीटिंग की तारीख पर अनुमति दी जाएगी।

घोषणा:

ए) मैं/हम स्वीकार करते हैं कि मैं/हमने निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी शर्तों और शर्तों को पढ़ा और समझा है और इसे स्वीकार करते हैं।

बी) मैं/हम द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और यदि बाद में इनमें से कोई भी गलत/असही साबित होता है, तो आरबीआई तिरुवनंतपुरम को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है जो वह उचित समझे।

सी) मैं/हम समझते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत/असही पाई जाती है, तो हमारी निविदा किसी भी चरण पर अस्वीकृत हो सकती है और आरबीआई का इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा। मैं/हम इस संबंध में आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में कोई विवाद नहीं उठाएंगे।

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर

खंड VI

तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. पूर्ण रूप से भरा और हस्ताक्षरित प्रस्ताव पत्र और तकनीकी बोली फॉर्म (खंड-V)।
2. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां जो कंपनी की गठन या कानूनी स्थिति, पंजीकरण स्थान और मुख्य व्यवसाय स्थान को परिभाषित करती हैं; बोली दाता को बाध्य करने के लिए बोली दाता के हस्ताक्षरकर्ता का लिखित अधिकार पत्र। निम्नलिखित अनुसार उपयुक्त व्यवसाय लाइसेंस/पंजीकरण:
 - क. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र,
 - ख. पैन नंबर
 - ग. सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस प्रमाण पत्र की प्रतियां।
3. पिछले तीन वर्षों के लिए समान सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
4. पिछले तीन वर्षों के लिए समान प्रकृति और आकार की सेवाओं के कार्य आदेश और अनुभव की प्रतियां, और चल रहे या अनुबंधित सेवाओं का विवरण; और उन अनुबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किए जा सकने

वाले ग्राहकों के नाम और पते। प्रत्येक कार्य के लिए न्यूनतम 2 ग्राहकों के लिए ग्राहक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए (निर्धारित प्रारूप संलग्न है।

5. पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण। संबंधित अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण और बैलेंस शीट की प्रतियां।

6. पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न।

7. एक निर्धारित बैंक द्वारा प्रमाणित देयता प्रमाण पत्र जो नवीनतम ऑडिट किए गए बैलेंस शीट के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य दर्शाता है। (निर्धारित प्रारूप संलग्न है)

8. इस संविदा के लिए पर्याप्त चालू पूँजी के प्रमाण (क्रेडिट लाइन(स) तक पहुंच और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।

9. बैंक खाता विवरण (रद्द चेक की प्रति।

10. बोली दाता के बैंकर्स से संदर्भ लेने के लिए अधिकार।

11. कंपनी/फर्म के मुहर के साथ बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर प्राधिकरण/अधिकार पत्र।

12. एक अंगीकार पत्र जिसमें बताया गया है कि बोली दाता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।

13. आरबीआई, तिरुवनंतपुरम खाते में एनईएफटी के माध्यम से जमा किए गए ईमानदारी धन का सूचना पत्र।

14. पिछले एक वर्ष के बैंक खाता विवरण।

15. संविदा, पुरस्कार पत्र, करार, पिछले उपयोगकर्ताओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियों जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करें।

16. बोली दाता के लिए वर्तमान में या पिछले पांच वर्षों के दौरान जिसमें वह शामिल है, किसी भी मुकदमे के बारे में जानकारी, संबंधित पक्ष और विवादित राशि।

नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेजों को बोली दाता द्वारा ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोली जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ जमा/अपलोड किया जाना चाहिए। यदि बोली दाता द्वारा उपरोक्त में से किसी भी दस्तावेज का जमा नहीं किया जाता है, तो बैंक के एकमात्र विवेक के अनुसार बोली भाग-I में अयोग्य घोषित की जाएगी।

अनुबंध।

निर्धारित बैंक से बैंकर प्रमाण पत्र का प्रारूप

(ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ जमा किया जाना चाहिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे ज्ञान और जानकारी के अनुसार

मेसर्स/श्री/सुश्री _____ जिनका पता निम्नलिखित है
, हमारे बैंक
के ग्राहक हैं/हैं, सम्मानित हैं और किसी भी संविदा के लिए ₹ _____
तक की सीमा तक अच्छे माने जा सकते हैं। यह प्रमाण पत्र बैंक या उसके किसी भी अधिकारी पर किसी भी गारंटी
या जिम्मेदारी के बिना जारी किया गया है।

(हस्ताक्षर और मुहर)

बैंक के लिए

संपर्क नंबर (अनिवार्य फील्ड):

संपर्क ईमेल पता (अनिवार्य फील्ड):

स्थान:

तारीख:

नोट:

- बैंकर प्रमाण पत्र बैंक के पत्रशीर्ष पर होना चाहिए, जो क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय को संबोधित हो।
- साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

अनुबंध ॥

ग्राहक का प्रमाण पत्र - ठेकेदार का कार्य-निष्पादन
(ग्राहक के पत्रशीर्ष पर)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

तिरुवनंतपुरम

महोदय,

मेरसर्स _____ के कार्य-निष्पादन के बारे में ग्राहक का प्रमाण पत्र

1	कार्य का नाम और संक्षिप्त विवरण	
2	संविदा संख्या और तारीख	
3	संविदा राशि	
4	कार्य की शुरुआत की तारीख	
5	पूर्ण होने की निर्धारित तारीख	
6	वास्तविक पूर्ण होने की तारीख	
7	देरी के लिए लगाए गए प्रतिकर का विवरण (राशि दर्शाएं) यदि कोई हो	

8	पूर्ण किए गए कार्य की कुल राशि और भुगतान	
9	उस अधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य किए गए	
10	क्या ठेकेदार ने कार्य के दौरान योग्य इंजीनियर/पर्यवेक्षक का उपयोग किया	
11	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएं)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो	
12	i) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता के लिए जाने का फैसला किया?	
	ii) यदि हां, तो कुल दावा राशि	
	iii) कुल प्रदर्श राशि	
13	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियां	
	a) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	b) वित्तीय स्थिरता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	c) उपकरण और उपकरण का उचित आवंटन	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	d) श्रमिकों का आवंटन	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	e) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी स्तंभों को उचित रूप से भरा जाना चाहिए।

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर के साथ

नाम: -

पदनाम: -

संपर्क नंबर: -

खंड VII – करार की शर्तें

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), तिरुवनंतपुरम के लिए सिक्कों के थैलों और नोट बॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति, संविदा के आधार पर

यह संविदा _____ को किया गया था, जिसमें एक पक्ष के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका मुख्य कार्यालय तिरुवनंतपुरम में है (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) जिस शब्द का अर्थ जब तक संदर्भ के विपरीत न हो, तब तक उसके उत्तराधिकारियों को शामिल करेगा और दूसरे पक्ष के रूप में _____ जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा), जिसका व्यवसाय कार्यालय _____ पर है और जिसका प्रतिनिधित्व उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, _____, द्वारा किया जाता है, जिस शब्द का अर्थ उसके उत्तराधिकारियों को शामिल करेगा।

बैंक और ठेकेदार को एक साथ "पक्ष" कहा जाता है और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष"।

जबकि बैंक की इच्छा एक ठेकेदार की सेवाओं को लेने का है जो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), तिरुवनंतपुरम के लिए सिक्कों के बैग और नोट बॉक्स के संचालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति करेगा, और उसने कार्य के विवरण को विनिर्देशित किया है [जैसा कि ई-निविदा नं.: आरबीआई/Regional Thiruvananthapuram Office/Issue/1/25-26/ET/934 के खंड IV में विस्तार से दिया गया है]

उक्त विनिर्देश और कार्य का क्षेत्र [जैसा कि ई-निविदा नं.: आरबीआई/Regional Thiruvananthapuram Office/Issue/1/25-26/ET/934 के खंड IV में विस्तार से दिया गया है] ठेकेदार द्वारा बोली के माध्यम से सहमति

दी गई है। और जबकि ठेकेदार ने दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत संविदा की शर्तें और नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमति दी है।

अब यह सहमति की जाती है कि निम्नलिखित अनुसार

1. यह संविदा 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2027 तक बना रहेगा। ई-निविदा नं.: आरबीआई/Regional Thiruvananthapuram Office/Issue/1/25-26/ET/934 में निहित सभी शर्तें और नियम इस संविदा का एक अभिन्न अंग माने जाएंगे।

2. ठेकेदार के लिए कार्य का क्षेत्र:

ए. ठेकेदार निर्धारित अनुरोध के अनुसार पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा:

- (i) आरबीआई, तिरुवनंतपुरम या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में सिक्कों के थैलों की लदाई, उतराई, वजन, ढोना, फैलाना, स्टैक करना और विविध आपातकालीन कार्यों के लिए।
- (ii) आरबीआई तिरुवनंतपुरम, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में ताजा नोट बॉक्सों को लदाई, उतराई, स्टैक, फैलाने के लिए।
- (iii) मुख्य कार्यालय इमारत (MOB), आरबीआई तिरुवनंतपुरम बेसमेंट से खाली प्रेस नोट बॉक्स (एल्यूमीनियम/स्टील/लकड़ी के) को स्थानांतरित करना और उन्हें एमओबी परिसर में डंपिंग यार्ड में जमा करना और इसके विपरीत।

बी. ठेकेदार बैगों/बैंकनोट बॉक्सों को कंटेनर से खजाने तक या इसके विपरीत संभालने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले ट्रॉली की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए आसान पहचान के लिए अनुठे रंग के कपड़े की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार अपने श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था और सुनिश्चित करेगा।

सी. ठेकेदार के पास भारत सरकार के सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी एक वैध लाइसेंस होना चाहिए जैसा कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 की धारा 12(1) में प्रदान किया गया है।

डी. ठेकेदार को सौंपे जाने वाले संचालन समय-संवेदनशील, संवेदनशील और गोपनीय प्रकृति के हैं। कार्य/गतिविधियों को उचित, सावधान, त्वरित और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। पूर्ण कार्य/गतिविधियों को किसी भी नुकसान के बिना किया जाना चाहिए सिक्कों के बैग, नोट बॉक्स, बैंक के कर्मचारी या अधिकारी, बैंक की संपत्ति, माल आदि, और सामान्य जनता या बैंक के परिसर में उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति को। सिक्कों के बैग/नोट बॉक्स को लोड/अनलोड करना बैंक के निर्धारित अभ्यास के अनुसार किया जाना चाहिए।

ई. किसी भी अस्पष्टता के मामले में किसी भी कार्य की परिभाषा के संबंध में, महाप्रबंधक / प्रभारी उप महाप्रबंधक का निर्णय ठेकेदार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3. ठेकेदार के कर्तव्य

ठेकेदार का उत्तरदायित रहेगा कि वैधता अवधि के अंत तक संविदा को सफलतापूर्वक निष्पादित करें। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट कार्य को पूरा नहीं करता है, तो उसका PBG लागू किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना होगा जो उसकी लापरवाही के कारण होता है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

I. ठेकेदार को संविदा अवधि के दौरान सभी समय, भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक या उनके किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा लिखित या मौखिक अनुरोध प्राप्त होने के बारह घंटे के भीतर, नोट/सिक्कों वाले खजाने के बॉक्स/बैगों को संभालने और आरबीआई तिरुवनंतपुरम या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में विविध आपातकालीन कार्यों के लिए आवश्यक संख्या में सक्षम मजदूरों/श्रमिकों की आपूर्ति करनी चाहिए।

II. ऐसा नोटिस जिसे दिया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा, भले ही यह सामान्य व्यवसाय घंटों से अधिक काम करने की आवश्यकता हो या परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक छुट्टियों के रूप में घोषित दिन/दिनों पर हो जिसमें शनिवार और रविवार या इस संबंध में लागू किसी अन्य वर्तमान विधि / प्रावधान शामिल है।

III. आपातकालीन मामलों/मामलों में ठेकेदार को तीन घंटे की अल्प अवधि में पर्याप्त संख्या में मजदूरों की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध का पालन करना चाहिए। किसी भी मामले/मामले के आपातकालीन होने का निर्णय बैंक के पास होगा और इस संविदा के उद्देश्य के लिए यह पर्याप्त होगा कि बैंक ने ऐसा नोटिस दिया है और इसे आपातकालीन घोषित किया है। ठेकेदार को इसका पालन करना चाहिए और इसके अनुसार कार्य करना चाहिए। सिक्कों के बैग और नोट बॉक्सों को लोड और अनलोड करना एक बंद क्षेत्र में किया जाएगा अर्थात् सुरक्षा-यार्ड।

IV. ठेकेदार संविदा को आगे नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा का कोई भाग उप-पट्टे पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और PBG को लागू कर सकता है।

V. ठेकेदार को किसी भी क्षति या नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और बैंक को वह राशि वापस करनी चाहिए जो मजदूरों की अक्षमता/गतिविधि के कारण या ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त मजदूरों की तैनाती के कारण या वजन, लोड, अनलोड, भंडारण, कार्टिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ढोने और खजाने के बॉक्सों/सिक्कों के बैगों की डिलीवरी में किसी भी अक्षमता, लापरवाही या दोष या देरी के कारण हुआ है या उसके या ठेकेदार द्वारा नियुक्त मजदूरों या अन्य कर्मचारियों के हिस्से में किसी भी बेर्इमानी या धोखाधड़ी के आचरण के कारण हुआ है।

VI. बैंक को उस मजदूर/कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग न करने के लिए ठेकेदार को निर्देश देने का अधिकार होगा जो उपरोक्त कार्यों को करने में अक्षम और/या लापरवाह है। बैंक को यह अधिकार भी होगा कि वह ठेकेदार को उन कर्मचारियों/मजदूरों की सेवाओं का उपयोग करना बंद करने का निर्देश दे जो बैंक में या अन्यथा उपरोक्त कार्यों को करते समय किसी भी बेर्इमानी या धोखाधड़ी की गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं। बैंक से ऐसा निर्देश प्राप्त करने पर, ठेकेदार तुरंत ऐसे कर्मचारियों/मजदूरों की सेवाओं का उपयोग बंद कर देगा ताकि वे बैंक में उपरोक्त कार्यों को कर सकें। यदि ठेकेदार बैंक के निर्देश का पालन नहीं करता है, तो बैंक ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 500 रुपये (केवल पांच सौ रुपये) का जुर्माना लगा सकता है। यदि लगातार अनुपस्थिति या बार-बार दोहराव होता है, तो बैंक संविदा रद्द कर सकता है और PBG लागू कर सकता है।

VII. ठेकेदार को अपने द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा संविदा से संबंधित कार्य के संबंध में होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए उपयुक्त दायित्व बीमा कवर लेना चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा कवर इस करार की समाप्ति तक हमेशा जीवित रहे। भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के जनरल मैनेजर / डिएटी जनरल मैनेजर-इन-चार्ज, जारी विभाग को ठेकेदार से खरीदे गए बीमा नीतियों को प्रस्तुत करने और उन्हें सत्यापित, जांचने या जांचने का अधिकार होगा ताकि वह ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट हो सके। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के जनरल मैनेजर / डिएटी जनरल मैनेजर-इन-चार्ज, जारी विभाग निर्धारित करते हैं कि बीमा कवर की राशि पर्याप्त नहीं है या संविदा के कर्मचारियों के लिए जो जोखिम हैं उन सभी जोखिमों को नहीं कवर करती है, तो ठेकेदार अतिरिक्त राशि के लिए और विद्यमान बीमा नीति में नहीं शामिल जोखिमों के लिए बीमा कवर खरीदेगा ताकि जनरल मैनेजर/डिएटी जनरल मैनेजर-इन-चार्ज, जारी विभाग, आरबीआई तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्धारित अपर्याप्तता को पूरा किया जा सके, अन्यथा बैंक अतिरिक्त राशि और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए व्यय को ठेकेदार से वसूल करेगा।

VIII. ठेकेदार को बैंक से संविदा के आवंटन के बारे में पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद उन मजदूरों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के नामों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जो इस करार के विषय के कार्य को करने से संबंधित होंगे। ठेकेदार को बैंक द्वारा समय-समय पर पूछताछ किए जाने पर उन मजदूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तस्वीरें, निवासी पते, स्थायी पते, पुलिस सत्यापन रिकॉर्ड और चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने चाहिए। ठेकेदार को संविदा शुरू होने से पहले सभी मजदूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के पूर्वावस्था और चरित्र की पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन करवाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा प्रत्येक मजदूर के लिए वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (PVR) की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

IX. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कार्य/गतिविधियां उचित, सावधान, त्वरित और कुशल तरीके से की जाएं। पूर्ण कार्य/गतिविधियों को किसी भी नुकसान के बिना किया जाना चाहिए नोट बॉक्स और सिक्कों के बैग, बैंक के कर्मचारी या अधिकारी, बैंक की संपत्ति, माल आदि और सामान्य जनता या बैंक के परिसर में उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति को। बोली दाता को उन ठेकेदार के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा जो श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा।

X. इस करार के तहत कार्य के निष्पादन के लिए नियुक्त संविदा श्रमिकों की निगरानी और नियंत्रण ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। संविदा श्रमिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के लिए रिकॉर्ड/मस्टर रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और ऐसा रिकॉर्ड 'मस्टर हमेशा ठेकेदार के नियंत्रण में रहेगा।

XI. ठेकेदार को इस संविदा के दौरान सभी समय संविदा श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखना चाहिए और छुट्टी या अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दों का प्रशासन करना चाहिए। ठेकेदार को उन सभी मजदूरों और अन्य कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र जारी करना चाहिए जो इस करार के विषय के कार्यों के निष्पादन से संबंधित होंगे।

XII. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में हाइड्रॉलिक ट्रॉली उपलब्ध हो अर्थात् कंटेनर/ट्रकों से लोडिंग, अनलोडिंग और आरबीआई तिरुवनंतपुरम के परिसर, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर के भीतर आंतरिक संचालन के लिए।

XIII. ठेकेदार किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं होगा और कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होगा।

XIV. ठेकेदार को संविदा श्रमिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के लिए मजदूरी के रजिस्टर या मजदूरी-कम-मस्टर रोल रखना चाहिए और यह ठेकेदार/ठेकेदार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के नियंत्रण में होगा।

XV. ठेकेदार को अपने श्रमिकों को फोटो पहचान पत्र, वर्दी और सुरक्षा जूते जारी/प्रदान करना चाहिए। श्रमिकों का प्रवेश केवल ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की सीधी निगरानी में ही अनुमत होगा।

XVI. अधिकृत प्रतिनिधि ने मजदूरी के रजिस्टर या मजदूरी-कम-मस्टर रोल में प्रविष्टियों के अंत में अपने हस्ताक्षर के तहत निम्नलिखित प्रमाण पत्र दर्ज करना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि स्तंभ संख्या _____ में दर्शाई गई राशि _____ (तारीख) को _____ (स्थान) पर मेरी उपस्थिति में संबंधित कामगारों को भुगतान की गई है (विधि 73 के अनुसार) इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने का प्रमाण।

XVII. बैंक को बैंक की संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए श्रमिकों को पूरक या प्रतिस्थापित करने के लिए किसी भी अतिरिक्त श्रमिक को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी

(i) ठेकेदार को एक अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) प्रदान करनी होगी, जिसकी राशि ₹3,15,000 (तीन लाख पंद्रह हजार रुपये मात्र) होगी, अर्थात् संविदा मूल्य का 5%, जो एक या अधिक शेड्यूल कर्मशियल बैंकों के पक्ष में होगी। गारंटी पूरे संविदा अवधि के लिए वैध रहेगी ताकि ठेकेदार द्वारा संविदा के दायित्वों का पालन सुनिश्चित हो सके। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में PBG की समय पर प्रस्तुति नहीं होती है, तो ठेकेदार के बिलों से बैंक दर पर देरी के लिए शुल्क वसूले जाएंगे। PBG की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(ii) **कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (PBG)** पूरी संविदा अवधि के लिए संविदा के सही प्रदर्शन के लिए होगी, साथ ही बैंक को हुए या होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के खिलाफ भी होगी। यदि संविदा नवीनीकृत किया जाता है, तो ठेकेदार इसके अनुसार विस्तारित बैंक गारंटी की व्यवस्था करेगा।

(iii) संविदा अवधि की समाप्ति के 3 महीने बाद, संविदा के सफल समापन और किसी भी एजेंसियों या ठेकेदार के कर्मचारियों से कोई दायित्व न होने की स्थिति में, बिना ब्याज के बैंक गारंटी जारी की जाएगी।

5. बीमा कवर

I. ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, सुरक्षा और बीमा या जीवन बीमा के लिए एकमात्र और पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, जो संचालन और रखरखाव कार्यों पर काम कर रहे हैं।

II. ठेकेदार को अपने खर्च पर, संविदा के दौरान श्रमिकों और सामग्री के लिए एक व्यापक सभी जोखिम बीमा और तीसरे पक्ष की देयता बीमा कवर लेना और बनाए रखना होगा, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: उनके द्वारा नियुक्त श्रमिकों या किसी भी तीसरे पक्ष को हुए व्यक्तिगत चोटें, बैंक या किसी भी तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति। वह यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा कवर इस करार की अवधि के दौरान हमेशा जीवित रहे। मुख्य प्रबंधक, मुद्रा विभाग को ठेकेदार से खरीदे गए बीमा नीतियों को प्रस्तुत करने और उन्हें सत्यापित, जांचने या जांच करने का अधिकार होगा ताकि वह ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट हो सके। यदि मुख्य प्रबंधक, मुद्रा विभाग निर्धारित करते हैं कि बीमा कवर पर्याप्त नहीं है (राशि) या संविदा कर्मचारियों के कार्य से जुड़े जोखिमों को कवर नहीं करता है, तो ठेकेदार को मौजूदा बीमा नीति में नहीं शामिल जोखिमों के लिए अतिरिक्त राशि और अतिरिक्त बीमा कवर खरीदना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है, तो बैंक अतिरिक्त राशि और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में वहन किए गए व्यय को ठेकेदार से वसूल करेगा।

III. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बीमा नीति में बैंक का नाम और विक्रेता का नाम शामिल होना चाहिए, जिसमें बैंक का नाम (भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम) पहले नाम के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा, कार्य का विवरण और कार्य के लिए निर्धारित स्थान को भी बीमा नीति में शामिल किया जाना चाहिए।

IV. ठेकेदार को सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपकरण प्रदान करने और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि उनके कर्मचारी कार्य करते समय उनका उपयोग कर रहे हैं।

V. किसी भी घातक चोट/मृत्यु के मामले में, जो किसी भी कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन/निरीक्षण या अन्य कार्यों के दौरान हुई हो, बैंक किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

VI. उद्धृत दरें उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी, जहां सेवा प्रदान की जाती है, और इनमें सभी वैधानिक दायित्व शामिल होंगे।

VII. ठेकेदार संविदा के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मचारियों के सभी प्रकार के दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने से उत्पन्न होता है।

VIII. ठेकेदार संविदा के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मचारियों के सभी प्रकार के दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने से उत्पन्न होता है।

ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशेड़ी नहीं हैं और बैंक के हितों के विपरीत किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा तैनात किए गए सभी मानव संसाधन के लिए पुलिस सत्यापन किया जाए और ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए गए मानव संसाधन अच्छे नैतिक चरित्र के हों।

6. अयोग्यता / समाप्ति/ जुर्माना

I. यदि कोई निविदा दाता या उसके द्वारा या उसके नाम पर किसी भी तरह के राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव का उपयोग करके बैंक के चयन, तुलना, मूल्यांकन और अनुबंधों के आवंटन पर निर्णय के संबंध में कोई दबाव डालने का प्रयास करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, निविदा दाता का निविदा अस्वीकार किया जा सकता है और न्यूनतम एक वर्ष के लिए, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। यदि ऐसी घटनाएं चयन प्रक्रिया के दौरान अनजाने रहती हैं लेकिन बाद में पता चलती हैं, तो ऐसी अयोग्यता तुरंत प्रभावी होगी।

II. किसी भी कारण से, दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकता है।

III. यदि ठेकेदार द्वारा बैंक द्वारा जारी किसी भी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति में या संविदा के निर्देशों के उल्लंघन में कोई देरी होती है, जिसे मुख्य प्रबंधक/उप मुख्य प्रबंधक-प्रभारी, मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम द्वारा गंभीर माना जाता है जिससे जुर्माना लगाया जा सकता है, तो उपर्युक्त मुख्य प्रबंधक/डीजीएम-प्रभारी, परामर्श के बाद क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-प्रभारी द्वारा प्रत्येक मामले के लिए ठेकेदार पर ₹.10,000 (दस हजार रुपये मात्र) से अधिक नहीं का जुर्माना लगाया जा सकता है।

IV. यदि बार-बार या लगातार देरी होती है या यदि इस करार के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो बैंक तुरंत प्रभाव से संविदा समाप्त कर सकता है, जिसके लिए मुख्य प्रबंधक/उप मुख्य प्रबंधक-प्रभारी, मुद्रा विभाग द्वारा लिखित रूप से सूचना दी जाएगी और क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-प्रभारी की स्वीकृति के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष से यह किया जाएगा, चाहे ऐसी देरी या उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना लगाया गया हो या नहीं। संविदा के पूर्वकालिक समापन के मामले में, बैंक ठेकेदार को कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

V. संविदा का निरंतरता मुख्य रूप से ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक तीन महीने का लिखित नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकता है। संविदा का

संतोषजनक या असंतोषजनक प्रदर्शन केवल बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और यह ठेकेदार के लिए बाधकारी होगा।

VI. यदि ठेकेदार लगातार 3 अवसरों से अधिक सेवाएं प्रदान नहीं करता है, तो बैंक को बिना किसी नोटिस के संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा, चाहे कोई भी कारण हो। ऐसी परिस्थितियों में, ठेकेदार को कोई मुआवजा दाव करने का अधिकार नहीं होगा।

VII. सभी मामलों में, जहां ठेकेदार पर कुल संविदा मूल्य का पांच प्रतिशत (5%) जुर्माना लगाया गया है, तो दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

VIII. यदि किसी निविदा दाता द्वारा जमा किए गए किसी भी प्रमाणपत्र/दस्तावेज या प्रदान किए गए विवरण गलत/नकली/झूठे/बदले हुए पाए जाते हैं या जानकारी नहीं दी गई है, तो संबंधित निविदा दाता को ब्लौकलिस्ट किया जाएगा और उसे आरबीआई में कोई भी भविष्य का कार्य नहीं दिया जाएगा। ऐसी एजेंसियों के साथ जुड़े किसी भी संयुक्त उद्यम या साझेदारी फर्म या किसी अन्य प्रकृति की फर्म को भी कोई भविष्य का कार्य नहीं दिया जाएगा।

7. बैंक को जानकारी प्रदान करना

(i) ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि संबंधित कार्य के लिए सभी जानकारी, रिकॉर्ड, डेटा आवेदन, डेटाबेस, नेटवर्क/नेटवर्क डिवाइस और सिस्टम अंतरिक/बाहरी ऑडिटर्स के लिए बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हों।

(ii) ठेकेदार को भारत सरकार, तिरुवनंतपुरम के सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय से श्रम लाइसेंस प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा कि संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 की धारा 12(1) के तहत प्रदान किया गया है, और उपर्युक्त अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं का भी पालन करना चाहिए।

(iii) ठेकेदार जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ईएसआई/ईपीएफ मासिक/तिमाही बयान, श्रमिकों के मासिक वेतन बयान आदि दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(iv) बैंक को ठेकेदार के संबंधित डेटा/रिकॉर्ड तक पहुंच होगी। विक्रेता बैंक द्वारा अनुरोधित सभी ऐसे दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो संविदा से संबंधित हैं।

(v) ठेकेदार को अपनी स्वामित्व संरचना, मुख्य प्रबंधन/साझेदार/निदेशकों में किसी भी परिवर्तन की तत्काल सूचना बैंक को देनी चाहिए।

(vi) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्थायी/स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले उनके योग्यता की जांच की जाए और ठेकेदार के पास बैंक को प्रदान किए जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन/सत्यापन करने के लिए एक रोबस्ट तंत्र हो। यह सत्यापन दस्तावेजित होना चाहिए, ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए (कम से कम तिमाही) और बैंक द्वारा अनुरोधित रूप और आवृत्ति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(vii) ठेकेदार को उन सुपरवाइजरों/श्रमिकों/ड्राइवरों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिन्हें वह कार्य के निष्पादन के लिए नियुक्त करेगा और उनके पूरे नाम और पते [आधार के साथ समर्थित] और हाल की डिजिटल तस्वीर, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र प्रदान करना चाहिए।

(viii) ठेकेदार को बैंक के कार्य के लिए नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए तिमाही आधार पर वेतन वितरण बयान प्रस्तुत करने होंगे ताकि बैंक द्वारा सत्यापन किया जा सके। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर के साथ किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते में भुगतान किया जा सकता है और भुगतान दर्शने वाले बैंक बयान प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

8. संविधियों का अनुपालन

ठेकेदार देश और संबंधित राज्यों में लागू सभी प्रासंगिक और लागू कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार बैंक को संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और नियम, 1971, ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 या किसी अन्य लागू कानून के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का पालन न करने के कारण उत्पन्न किसी भी दावे, मुकदमे या कार्रवाई के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा।

I. ठेकेदार को श्रम, मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, कल्याण, कराधान और रोजगार स्थितियों से संबंधित सभी लागू वैधानिक दायित्वों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए एकमात्र उत्तरदायी होना चाहिए, जो सभी लागू कानूनों के तहत हैं, जिसमें वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उनके तहत बनाए गए नियम शामिल हैं, और ठेकेदार बैंक को किसी भी दायित्व, दावे, जुर्माने, नुकसान या मुकदमे से बचाएगा जो ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा अनुपालन न करने के कारण उत्पन्न होता है।

II. ठेकेदार को अपने तैनात श्रमिकों के लिए सभी लागू वैधानिक भुगतान जैसे न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई), भत्ता अधिनियम, 1972 के तहत भत्ता का भुगतान करना होगा, जैसा कि केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार है, जो भी उच्च हो, इसके अलावा अन्य सभी वैधानिक भुगतान करने होंगे।

III. श्रमिकों/मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा, श्रमिकों/मजदूरों को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, भत्ता और/या लाभांश भुगतान अधिनियम, 1965 और ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई दी जानी चाहिए। ईएसआई के अभाव में, ठेकेदार को श्रमिकों के मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत श्रमिकों के मुआवजा बीमा जैसे बीमा कवर के तहत दायित्व उठाना चाहिए। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ठेकेदार के पास अपने श्रमिकों/मजदूरों के लिए पीएफ योगदान करने के लिए एक मान्य पीएफ खाता होना चाहिए। यदि किसी भी वैधानिक भुगतान के अनुपालन के संबंध में कोई शिकायत होती है, तो उसे बिना किसी अन्य अधिकार के बिल से काट लिया जाएगा। ठेकेदार को सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेज वर्तमान विधि के अनुसार अद्यतन रखने होंगे और जब भी आवश्यकता हो, प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

IV. ठेकेदार को सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेज वर्तमान विधि के अनुसार अद्यतन रखने होंगे और जब भी आवश्यकता हो, प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

V. ठेकेदार बाल श्रमिकों की आपूर्ति नहीं करेगा, जो बाल श्रमिक (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत निषिद्ध है।

VI. ठेकेदार द्वारा वेतन अवधि निर्धारित की जानी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार को बैंक के कार्य के लिए नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए वेतन वितरण बयान प्रस्तुत करने होंगे, जिसे बैंक द्वारा मासिक आधार पर सत्यापित किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को भुगतान ठेकेदार द्वारा उनके कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाना चाहिए और भुगतान दर्शाने वाले बैंक बयान बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

VII. मुख्य नियोक्ता, अर्थात् बैंक, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारियों को कोई भी रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि बैंक के रूप में मुख्य नियोक्ता को किसी भी कानून के तहत ठेकेदार के कर्मचारियों को कोई राशि भुगतान करने के लिए आवश्यकता होती है या उन्हें भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी राशि ठेकेदार द्वारा बैंक के प्रति बकाया ऋण के रूप में बैंक द्वारा वसूल की जाएगी।

VIII. ठेकेदार को वेतन अवधि निर्धारित करनी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार को वेतन देना चाहिए जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। यह अपने संविदा श्रमिकों के लिए बर्खास्तगी मुआवजा, नोटिस पे, भत्ता और बोनस के लिए भी उत्तरदायी होगा। ठेकेदार को संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और नियम, 1971 के तहत संविदा श्रमिकों के लिए सभी कल्याण उपाय प्रदान करने होंगे। बैंक को ऐसे किसी भी दायित्व का वहन नहीं करना होगा।

IX. ठेकेदार बैंक को संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और नियम, 1971, ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 या किसी अन्य लागू कानून के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का पालन न करने के कारण उत्पन्न किसी भी दावे, मुकदमे या कार्रवाई के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा।

X. संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 21(4) के तहत, यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं करता है या अधूरा भुगतान करता है, तो बैंक ठेकेदार द्वारा नियुक्त संविदा श्रमिकों को पूर्ण मजदूरी या बकाया शेष राशि का भुगतान करेगा और ऐसी राशि को ठेकेदार से वसूल करेगा, या तो ठेकेदार को किसी भी संविदा के तहत देय किसी भी राशि से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में।

9. संविदा की समीक्षा और नवीनीकरण

(i) संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जो 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक होगी, जिसे बैंक अपने विवेक से दो वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है (एक वर्ष प्रत्येक बार), बिना या साथ में शर्तों और शर्तों में कोई परिवर्तन, संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर।

(ii) ठेकेदार के प्रदर्शन की समीक्षा एक वर्ष के अंत में की जाएगी। यह बैंक के मुद्रा खजानों और नकदी अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह समीक्षा नवीनीकरण के दौरान विचार की जाएगी।

(iii) जब संविदा की अवधि समाप्त होने वाली हो, तो बैंक संविदा के आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर सकता है। मौजूदा संविदा की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार को बैंक को लिखित रूप से सूचित करना चाहिए कि वह मौजूदा शर्तों और शर्तों पर संविदा को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है या नहीं।

10. अप्रकटीकरण

- (i) ठेकेदार किसी भी तरह से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण को प्रकट नहीं करेगा, जो संविदा के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पास या ज्ञान में आता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हमेशा उन्हें सख्त गोपनीयता के साथ रखेगा।
- (ii) ठेकेदार संविदा और प्रत्येक कार्य के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य कहीं भी कार्य के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित होने देने या प्रकट नहीं करेगा, बिना बैंक की पूर्व लिखित सहमति के।
- (iii) ठेकेदार बैंक को किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकट होने के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त के अनुपालन में विफलता को ठेकेदार के हिस्से से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार रखेगा।
- (iv) ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा ताकि गोपनीय जानकारी के गोपनीयता के दायित्व पूर्ण रूप से पूरे किए जा सकें। ठेकेदार के गोपनीयता और गोपनीयता के दायित्व इस करार की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी कार्यरत रहेंगे, चाहे कोई भी कारण हो।

11. उप-ठेकेदारी पर प्रतिबंध

- (i) ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस संविदा के तहत किसी भी कार्य, सेवा या दायित्व का किसी भी भाग या समग्र को किसी भी तीसरे पक्ष, उप-ठेकेदार या किसी अन्य संस्था को उप-ठेके, असाइन, स्थानांतरित या अन्य रूप से सौंपने के लिए अनुमति नहीं देगा। ऐसी कोई भी अनधिकृत उप-ठेकेदारी इस संविदा का एक महत्वपूर्ण उल्लंघन मानी जाएगी।
- (ii) अनधिकृत उप-ठेकेदारी की स्थिति में, नियोक्ता/ग्राहक के पास अधिकार होगा: इस संविदा में निर्धारित जुमने की अनुसूची के अनुसार जुर्माना लगाने का; बिना किसी नोटिस या उपचार अवधि के तुरंत संविदा समाप्त करने का; और ऐसे उल्लंघन के कारण हुए किसी भी नुकसान, क्षति या अतिरिक्त लागत की वसूली करने का।
- (iii) ठेकेदार इस संविदा के तहत सभी दायित्वों के प्रदर्शन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार रहेगा, चाहे कोई भी अनधिकृत उप-ठेकेदारी हो।

12. यौन उत्पीड़न:

यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर महिलाओं (रोकथाम, निषेध और निपटान) अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन। ठेकेदार/एजेंसी को "यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर महिलाओं (रोकथाम, निषेध और निपटान) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए एकमात्र उत्तरदायी होना चाहिए। यदि बैंक के परिसर में ठेकेदार के कर्मचारियों के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक

- (i) शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाए।
- (ii) यदि ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी।
- (iii) यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारियों का संबंध है, तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, उदाहरण के लिए यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत।
- (iv) ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

13. भुगतान और कर

- (i) इस करार के प्रावधान और संलग्न संविदा में दर्शाए गए दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।
- (ii) श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति के लिए बिल बैंक के समकालिक ऑडिटर द्वारा दर्शाए गए लागू जीएसटी तंत्र और दर के अनुसार भुगतान किए जाएंगे।
- (iii) भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा, जब ठेकेदार द्वारा प्रत्येक खेप के लिए बिल जमा किए जाएंगे, जो सभी संबंधों में पूर्ण हों। ठेकेदार द्वारा जमा किए गए बिलों का भुगतान अंतिम राशि को निकटतम ₹1/- तक गोल करके किया जाएगा। भुगतान विभिन्न हितधारकों से कार्य के पूरा होने के बारे में आवश्यक प्रमाणपत्र/डेटा/जानकारी प्राप्त करने और बिलों को सभी संबंधों में पूर्ण पाए जाने के बाद किया जाएगा। बैंक किसी भी कम दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो ठेकेदार द्वारा किया गया है।
- (iv) ठेकेदार द्वारा बिल प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) दरें संविदा की समाप्ति तक अपरिवर्तनीय होंगी। इन्हें संविदा की पूरी अवधि के लिए किसी भी आधार पर बढ़ाया नहीं जाएगा और ठेकेदार कोई अतिरिक्त शुल्क दावा नहीं कर सकता है।

(vi) बैंक को किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली करने का अधिकार है, जो भुगतान के बाद पोस्ट-भुगतान ऑडिट या तकनीकी परीक्षण या किसी अन्य तरीके से पता चलता है। कर, शुल्क या कर जो कानून के तहत लागू होते हैं, उनका भुगतान ठेकेदार का दायित्व होगा।

(vii) संविदा के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय किसी भी मुआवजे या अन्य धनराशि का भुगतान ठेकेदार को देय या देय होने वाली राशि से काटा जाएगा। PBG / सुरक्षा जमा को अंतिम उपाय के रूप में बर्खास्त किया/जब्त किया जा सकता है, जैसा मामला हो।

(viii) यदि किसी विवाद के बारे में यह तय करना है कि क्या कोई दायित्व यहां उत्पन्न हुआ है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ix) ठेकेदार को सभी भुगतान टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस-आईजीएसटी, टीडीएस-सीजीएसटी, टीडीएस-एसजीएसटी पर विषय होंगे, जो लागू कानूनों/नियमों के तहत निर्धारित दर/विशिष्ट हैं।

(x) बैंक बिल/दावों को 30 दिनों के भीतर पूर्ण बिल प्राप्त होने के बाद निपटाएगा। यदि कोई बिल किसी भी संबंध में अधूरा जमा किया जाता है, तो उसे बैंक द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के जमा होने तक भुगतान के लिए प्रसंस्कृत नहीं किया जाएगा।

14. विवाद निपटान तंत्र और मध्यस्थता

(i) सभी प्रकार के विवाद और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ, अर्थात् क्षेत्रीय निदेशक / अधिकारी-प्रभारी, भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को संदर्भित किया जाएगा और उनका लिखित निर्णय, दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए, जो मध्यस्थता के माध्यम से नहीं निपटाया जाता है, कानूनी अधिकार क्षेत्र केवल तिरुवनंतपुरम होगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से वैकल्पिक निपटान तरीकों का उपयोग करके निपटाया जा सकता है।

(ii) क्षेत्रीय निदेशक / अधिकारी-प्रभारी, भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम न्यूनतम तीन सदस्यों वाली एक आंतरिक डीआरसी का गठन करेंगे, जिसमें बैंक का कम से कम एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा जो संबंधित कार्य से संबंधित नहीं है। डीआरसी का कार्य विवाद को निपटाना और एक सहमति समाधान तक पहुंचना होगा।

- (iii) यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, जो संविदा या कार्य के निष्पादन से संबंधित है या उससे उत्पन्न होता है, तो पक्ष एक दूसरे के साथ विवाद को सुलझाने के लिए अच्छे विश्वास में आपसी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसकी अवधि विवाद के लिए किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को चर्चा/बातचीत करने के लिए नोटिस देने की तारीख से 30 दिनों की होगी।
- (iv) यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर कोई सहमति समाधान नहीं निकलता है, तो अनिर्णीत विवादों को पक्षों द्वारा आपसी सहमति से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। यदि पक्ष एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत नहीं होते हैं, तो प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दोनों नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे, जो अध्यक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। संविदा और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे और मध्यस्थता तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, ठेकेदार इस करार के तहत अपने अनुबंधित दायित्वों का निर्वहन जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा उसे छूट न दी जाए। यह संविदा केवल तिरुवनंतपुरम के न्यायालयों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन है। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से वैकल्पिक निपटान तरीकों का उपयोग करके निपटाया जा सकता है।

15. सूचना की गोपनीयता, निजता और सुरक्षा

- (i) ठेकेदार/संविदाकर्ता बैंक की आईएस नीति के संबंधित प्रावधानों का पालन करेगा।
- (ii) ठेकेदार इस संविदा के प्रदर्शन के संबंध में प्राप्त या पहुंची गई सभी जानकारी, डेटा, दस्तावेज और सामग्री (“गोपनीय जानकारी”) को कठोरता से गोपनीय रखेगा, चाहे वह मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप में हो।
- (iii) ठेकेदार गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल इस संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से करेगा और बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी तृतीय पक्ष को कोई गोपनीय जानकारी प्रकट, प्रकाशित या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराएगा।
- (iv) ठेकेदार गोपनीय जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और सुरक्षा को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, परिवर्तन या विनाश से बचाने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपाय लागू करेगा और बनाए रखेगा, जिसमें लागू डेटा सुरक्षा और गोपनीयता कानूनों का पालन शामिल है।

(v) इस खंड के तहत दायित्व इस संविदा के समाप्ति या समाप्ति के बाद 5 वर्ष या लागू कानून द्वारा आवश्यक अवधि, जो भी अधिक हो, तक बने रहेंगे।

(vi) यदि गोपनीयता, डेटा गोपनीयता या सुरक्षा दायित्वों का कोई उल्लंघन या संदिग्ध उल्लंघन होता है, तो ठेकेदार तुरंत बैंक को सूचित करेगा और ऐसे उल्लंघन के प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक सुधारात्मक उपाय करेगा।

(vii) इस संविदा के समाप्ति या समाप्ति के बाद, ठेकेदार बैंक के निर्देश पर अपने पास या नियंत्रण में सभी गोपनीय जानकारी वापस कर देगा या सुरक्षित रूप से नष्ट कर देगा।

16. क्षेत्राधिकार और शासी कानून:

यह करार केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। यह करार भारत के कानूनों द्वारा शासित है।

17. संशोधन

इस करार में कोई भी संशोधन तभी प्रभावी होगा जब वह लिखित रूप में हो और दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हो।

18. स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान

(i) यह करार दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा; मूल प्रति बैंक के पास रखी जाएगी और दूसरी प्रति ठेकेदार के पास रहेगी।

(ii) ठेकेदार इस करार की मूल प्रति पर स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करेगा, जो दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। बैंक मूल प्रति रखेगा और ठेकेदार दूसरी प्रति रखेगा।

19. अप्रत्याशित घटना - यदि संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय कोई पक्ष बलवान बाधा के अधीन हो, जिसे गृह विरोध, दंगे, हड़ताल, तूफान, ईश्वर की इच्छा आदि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्वों का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को ऐसी घटना के होने के बारे में सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में संविदा को समाप्त करने का अधिकार नहीं रखेगा। संविदा के तहत दायित्व जैसे ही संभव हो घटना समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त

होने के बाद फिर से शुरू होंगे। यदि संविदा के तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन घटना के कारण एक पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से अधिक समय तक रोका या विलंबित किया जाता है, तो कोई भी पक्ष अपने विवेक से संविदा को समाप्त कर सकता है।

20. शासी भाषा

यदि करार के अंग्रेजी और हिंदी पाठों के बीच कोई असंगति हो, तो अंग्रेजी संस्करण प्रभावी होगा। इस करार के तहत आवश्यक सभी नोटिस, पत्राचार, जानकारी, साहित्य, डेटा, मैनुअल, प्रक्रियाएं और अन्य दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में होंगे।

हस्ताक्षर खंड Signature clause:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द
.....

(नाम और पदनाम Name and designation)

की उपस्थिति में In the presence of

साक्षी Witness-

(1) _____

पता Address _____

(2) _____

पता Address _____

मेसर्स द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(नाम और पदनाम Name and designation)

की उपस्थिति में In the presence of

साक्षी Witness-

(1) _____

पता Address _____

(2) _____

पता Address _____

अनुबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, तिरुवनंतपुरम

श्रम शुल्क की दर जो निविदा फॉर्म का हिस्सा है

क्रम सं.	कार्य का विषय	लगभग वजन किलोग्राम में	इकाई	बैंक द्वारा अनुमानित वार्षिक कार्य की लगभग मात्रा	दर (₹ में) (A) (सभी करों सहित लेकिन जीएसटी को छोड़कर)	वजन (प्रतिशत में) ## (B)
1	नोट बॉक्स का हैंडलिंग*	अधिकतम 130 किग्रा	प्रति बॉक्स	16040 बॉक्स/वर्ष		30%
2	नोट बॉक्स (ताजा/मैले) का स्थानांतरण, फैलाना और स्टैकिंग एक ही गुफा / अलग गुफाओं में					

	एक ही / अलग मंजिल पर।	अधिकतम 130 किग्रा	प्रति बॉक्स	2250 बॉक्स/वर्ष		10%
3	सिक्का बैग का हैंडलिंग**	अधिकतम 20 किग्रा	प्रति बैग	140400 बैग/वर्ष		40%
4	एक ही गुफा / अलग गुफाओं में एक ही / अलग मंजिल / एओबी से मोबी पर सिक्का बैग का स्थानांतरण	अधिकतम 20 किग्रा	प्रति बैग	2700 बैग/वर्ष		10%
5	खाली बॉक्स का स्थानांतरण\$	10-20 किग्रा	प्रति बॉक्स	6500 बॉक्स/वर्ष		10%

I. नोट बॉक्स का हैंडलिंग*:

- i) बाहरी ग्रिल गेट के पास रैप से ट्रक / कंटेनर/बस/वैन से पैक किए गए नोट बॉक्स का हैंडलिंग और गुफाओं में जमा करना, जिसमें लोडिंग/अनलोडिंग, वजन, स्थानांतरण शामिल है, चाहे वह फैलाना या स्टैकिंग / श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करना हो (निचली/ऊपरी बेसमेंट) गुफा या इसके विपरीत। यह ताजा, मैले और पुनः जारी करने योग्य नोटों पर लागू होता है। इसमें रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पर वैगन/विमान से पैक किए गए नोट बॉक्स का हैंडलिंग भी शामिल है, यदि आवश्यक हो।
- ii) वाल्ट में पैक किए गए नोट बॉक्स का हैंडलिंग प्रारंभिक सत्यापन/पैकिंग आदि के लिए, जिसमें स्थानांतरण, स्टैकिंग/अनस्टैकिंग और फैलाना या इसके विपरीत एक ही/अलग मंजिलों में शामिल है।
- iii) पैक किए गए प्रेस नोट बॉक्स - किसी भी व्यक्तिगत संचालन जैसे स्टैकिंग/रेस्टैकिंग/फैलाना एक ही वाल्ट में/ट्रॉली पर लोड करना/ट्रॉली से अनलोड करना।
- iv) पैक किए गए प्रेस नोट बॉक्स - उन्हें एक वाल्ट से दूसरी वाल्ट में स्थानांतरित करना और एओबी / मोबी के एक ही परिसर में स्टैक करना।

II. सिक्का थैले का हैंडलिंग**:

- i) बाहरी ग्रिल गेट के पास रैप से ट्रक / कंटेनर/बस/वैन से सिक्का बैग का हैंडलिंग और उन्हें गुफाओं में ले जाना, जिसमें लोडिंग/अनलोडिंग, वजन और फैलाना/स्टैकिंग शामिल है (निचली/ऊपरी बेसमेंट) गुफा या इसके विपरीत। इसमें रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पर वैगन/विमान से सिक्का बैग का हैंडलिंग भी शामिल है, यदि आवश्यक हो।
- ii) स्टैक से पैक किए गए सिक्का थैला निकालना और उन्हें फिर से स्टैक करना।
- iii) उन्हें एक वाल्ट से दूसरी वाल्ट में स्थानांतरित करना और एओबी / मोबी के एक ही परिसर में स्टैक करना।
- iv) मुख्य कार्यालय इमारत/अतिरिक्त कार्यालय इमारत की गुफा से सिक्का बॉक्स/सिक्का बैग निकालना, वजन करना, कंटेनर-ट्रक में लोड करना और एक या अधिक मुद्रा चेस्ट पर अनलोड करना और इसके विपरीत।

III. खाली बॉक्स का स्थानांतरण\$:

मोबी बेसमेंट से खाली प्रेस नोट बॉक्स (एल्यूमीनियम/स्टील/लकड़ी के) का स्थानांतरण और उन्हें मोबी परिसर में डंपिंग यार्ड में जमा करना और इसके विपरीत।

नोट :- बॉक्स की गति (उपरोक्त दर सूची में सूचीबद्ध आइटम के अलावा): भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के परिसर में उपरोक्त दर सूची में सूचीबद्ध आइटम के अलावा किसी भी बॉक्स का हैंडलिंग/गति/स्थानांतरण ₹ 10/- प्रति 10 किलो ग्राम की दर से भुगतान किया जाएगा।

अनुभाग VIII
भाग-। (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन

योग्यता मानदंड

तकनीकी बोली पर विचार करने के लिए इस दस्तावेज में पहले से निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। इसके अलावा, निम्नलिखित मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा।

क्रम सं.	तकनीकी मूल्यांकन के मापदंड	क्या मापदंड पूरा किया गया है/आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हैं (हां/नहीं)	क्या निविदा के भाग-। के लिए योग्य है	टिप्पणियां
1.	समान कार्य करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव			
2.	क्या बोलीदाता ने पिछले तीन वर्षों में समान सेवाएं सफलतापूर्वक निष्पादित/पूर्ण की हैं, अर्थात् वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में: -			

	<p>ए. तीन समान कार्य, प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर या अधिक; या</p> <p>बी. दो समान कार्य, प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर या अधिक; या</p> <p>सी. एक समान कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर या अधिक है।</p>		
3.	पिछले तीन वर्षों के दौरान संविदा की अनुमानित लागत के कम से कम 30% का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर - ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित होना चाहिए		
4.	सकारात्मक शुद्ध मूल्य - बैंक द्वारा ठीक से सत्यापित सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट संलग्न किया जाना चाहिए		
5.	क्या बोलीदाता या संबद्ध फर्म को कभी आरबीआई या राज्य/केंद्र सरकार विभाग द्वारा डेलिस्ट किया गया है?		
6.	क्या फर्म या उसके निदेशकों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित है?		
7.	क्या निविदा दस्तावेज के अनुभाग-IV में दिए गए संविदा के शर्तें बोलीदाता के लिए स्वीकार्य हैं? यदि हां, तो उनकी एक प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित, जमा की जानी चाहिए।		

8.	क्या बोलीदाता ने बैंक को ₹1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) की ईमानदारी राशि जमा की है? यदि हाँ, तो एनईएफटी विवरण की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।			
9.	क्या बोलीदाता का तिरुवनंतपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई कार्यालय/प्रतिनिधि है?			

केवल वहीं निविदाकर्ता को निविदा के भाग-I में योग्य माना जाएगा और भाग-II अर्थात् मूल्य बोली के लिए पात्र होगा जो उपरोक्त मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि, बैंक को अपने एकमात्र विवेक से किसी भी मानदंड को छूट देने का अधिकार है, लेकिन यह सभी पर लागू होगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक

निर्गम विभाग तिरुवनंतपुरम

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), तिरुवनंतपुरम के लिए सिक्का थैला और नोट बॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

ई-निविदा संख्या. आरबीआई/Regional Thiruvananthapuram Office / Issue /1/25-26/ET/934

भाग II (मूल्य बोली)

निविदादाता का नाम: _____

पता: _____

जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 4 मार्च 2026, अपराह्न 2:00 बजे।

भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, तिरुवनंतपुरम

श्रम शुल्क की दरें जो निविदा फॉर्म का हिस्सा बनती हैं

क्रम.सं.	कार्य का विवरण	लगभग वजन (किलोग्राम) (में)	इकाई	बैंक द्वारा अनुमानित वार्षिक कार्य की लगभग मात्रा	दर (₹ में) (A) (सभी करों सहित लैकिन जीएसटी को छोड़कर)	भार (प्रतिशत में) ## (B)

1	नोट बॉक्स का प्रबंधन * नोट बॉक्स का (मैले/ताजा) स्थानांतरण, फैलाना और स्टैक करना उसी गोदाम अलग/ गोदाम में मंजिल पर।	अधिकतम 130 किग्रा अधिकतम 130 किग्रा	प्रति बॉक्स	16040 बॉक्स/वर्ष		30%
3	सिक्का बैग का प्रबंधन** सिक्का बैग का स्थानांतरण उसी गोदाम अलग/ गोदाम में अलग/उसी मंजिल एओबी से/पर	अधिकतम 20 किग्रा अधिकतम 20 किग्रा	प्रति बैग	140400 बैग/वर्ष		40%
4	सिक्का बैग का स्थानांतरण उसी गोदाम अलग/ गोदाम में अलग/उसी मंजिल एओबी से/पर	अधिकतम 20 किग्रा अधिकतम 20 किग्रा	प्रति बैग	2700 बैग/वर्ष		10%
5	खाली बॉक्स का स्थानांतरण\$	10-20 कि ग्रा	प्रति बॉक्स	6500 बॉक्स/वर्ष		10%

गणना के लिए सूत्र= Σ

I. नोट बॉक्स का संचालन*:

- i) ट्रक/कंटेनर/बस/वैन से बाहरी ग्रिल गेट के पास रैप से पैक किए गए नोट बॉक्स का प्रबंधन और गोदाम में जमा करना, जिसमें लोडिंग/अनलोडिंग, वजन और स्थानांतरण शामिल है, चाहे वह फैलाना या स्टैक करना हो (निचली/ऊपरी बेसमेंट) गोदाम में या इसके विपरीत। यह ताजा, मैले और पुनः जारी करने योग्य नोटों पर लागू होता है। इसमें रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे पर वैगन/विमान से पैक किए गए नोट बॉक्स का प्रबंधन भी शामिल है, यदि आवश्यक हो।
- ii) गोदाम में पैक किए गए नोट बॉक्स का प्रबंधन प्रारंभिक सत्यापन/पैकिंग आदि के लिए, जिसमें स्थानांतरण, स्टैकिंग/अनस्टैकिंग और फैलाना या इसके विपरीत शामिल है, उसी/अलग मंजिल पर।
- iii) पैक किए गए प्रेस नोट बॉक्स - किसी भी व्यक्तिगत कार्य जैसे स्टैकिंग/रीस्टैकिंग/फैलाना उसी गोदाम में/ट्रॉली पर लोड करना/ट्रॉली से अनलोड करना।
- iv) पैक किए गए प्रेस नोट बॉक्स - उन्हें एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्थानांतरित करना और एओबी/एमओबी के उसी परिसर में स्टैक करना।

II. सिक्का बैग का संचालन**:

- i) ट्रक/कंटेनर/बस/वैन से बाहरी ग्रिल गेट के पास रैप से सिक्का बैग का प्रबंधन और उन्हें गोदाम तक ले जाना, जिसमें लोडिंग/अनलोडिंग, वजन और फैलाना/स्टैकिंग शामिल है (निचली/ऊपरी बेसमेंट) गोदाम में या इसके विपरीत। इसमें रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे पर वैगन/विमान से सिक्का बैग का प्रबंधन भी शामिल है, यदि आवश्यक हो।
- ii) स्टैक से पैक किए गए सिक्का बैग निकालना और उन्हें फिर से स्टैक करना।
- iii) उसे एक वॉल्ट से दूसरे वॉल्ट में स्थानांतरित करना और एओबी/एमओबी के उसी परिसर में स्टैक करना।
- iv) मुख्य कार्यालय भवन / एनेक्स कार्यालय भवन के वॉल्ट से सिक्का बॉक्स/सिक्का थैला निकालना, वजन करना, कंटेनर-ट्रक में लोड करना और एक या अधिक मुद्रा खजाने में अनलोड करना और इसके विपरीत।

III. **खाली बॉक्स का स्थानांतरण\$:** एमओबी बेसमेंट से खाली प्रेस नोट बॉक्स (एल्यूमीनियम/स्टील/लकड़ी के) का स्थानांतरण और उन्हें एमओबी परिसर में डंपिंग यार्ड में जमा करना और इसके विलोमतः।

- सबसे कम बोली लगाने वाले (L1) की गणना निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों और हमारे द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित भार के आधार पर की जाएगी। सूत्र= $\sum A_i * B_i$

नोट :- बॉक्स की गति (उपरोक्त दर सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं के अलावा): भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के परिसर में उपरोक्त दर सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं के अलावा किसी भी बॉक्स का प्रबंधन/गति/स्थानांतरण ₹ 10/- प्रति 10 किग्रा की दर से भुगतान किया जाएगा।

मूल्य बोली के लिए नोट: -

- a. निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे कार्य/गतिविधियों के स्थलों, अर्थात् बैंक परिसर का दौरा करें और निविदा देने से पहले स्थल की स्थिति से परिवर्तित हो जाएं। निविदाकर्ता को सभी कार्यों के लिए दरें उद्धृत करनी चाहिए और कोई भी मद कार्य अनुबंधित नहीं किया जाएगा। बॉक्स/थैले के वजन के संबंध में कार्यों को ध्यान से विचार करना चाहिए जब दाम उद्धृत किया जाता है।
- b. नोट बॉक्स/सिक्का थैला का स्टैकिंग 8-9 फीट की ऊँचाई तक हो सकता है।
- c. भुगतान मासिक अंतराल के बाद किया जाएगा, जब ठेकेदार द्वारा लागू न्यूनतम मजदूरी, बीमा प्रीमियम, ईपीएफ, ग्रेचुएटी आदि के समर्थन दस्तावेजों की सत्यापन के बाद। भुगतान विभिन्न हितधारकों से कार्य के पूरा होने के संबंध में आवश्यक प्रमाणपत्र/डेटा/जानकारी प्राप्त करने और बिल/बिलों को सभी संबंधों में पूर्ण पाए जाने के बाद किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय निविदाकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। बैंक ठेकेदार द्वारा किए गए कम दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- d. ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त किसी भी मद के संबंध में 'शून्य' राशि उद्धृत न करें।
- e. इसमें सूचीबद्ध कार्यों के अलावा और संविदा में सहमत नहीं किए गए कार्यों के लिए दरें बैंक द्वारा ठेकेदार के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाएंगी।
- f. उद्धृत कीमतें सभी करों, शुल्कों, स्थानीय करों, कार्य संविदा करों सहित होंगी, लेकिन जीएसटी या केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा लागू किए जाने वाले अन्य करों को छोड़कर। मैं/हम उपरोक्त कार्यों के

लिए विभिन्न कोडों के तहत दरें उद्धृत करने पर सहमत हैं। कार्य के चरणों में स्थान और परिस्थितियों के आधार पर सीमित भिन्नता हो सकती है।

g. निर्गम विभाग के जीएम/डीजीएम की विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी उपरोक्त कार्य कोडों के अलावा कार्य कराने के लिए श्रम की आपूर्ति के लिए।

h. उपरोक्त गतिविधियों/मात्रा/कार्य के दायरे केवल अनुभव के आधार पर संकेतात्मक हैं और भविष्य के कार्यों में भिन्न हो सकते हैं। उपरोक्त गतिविधियों/मात्रा/कार्य के दायरे का भुगतान के आधार के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। भुगतान केवल वास्तविक किए गए कार्यों के आधार पर किया जाएगा।

ठेकेदार का हस्ताक्षर

मुहर

तारीख:

स्थान:

(उपरोक्त मूल्य बोली का प्रारूप केवल आपके संदर्भ के लिए है। मूल्य बोली केवल एमएसटीसी ई-निविदा पोर्टल पर भरी जानी चाहिए)